1.1 प्रस्तावना:-

यह एक स्थापित तथ्य है कि भारतीय समाज मुख्यतः एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर महिलाएँ प्रायः अधीनस्थ की भूमिका में रहती हैं| उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन, परिवार एवं समाज से संबंधित सभी मुद्दों पर पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णय से अपनी सहमति व्यक्त करें एवं उन निर्णयों को बिना किसी तर्क, सोच अथवा चिंतन के स्वीकार करें| एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में महिला की स्थिति अभी भी देश के व्यापक भू-भाग में प्रतीकात्मक मात्र ही है| यद्यपि वर्तमान समय में ख़ास कर शहरी जन समुदाय में, विशेषतः महानगरों में, महिलाओं की स्वतंत्र अस्मिता विभिन्न माध्यमों से परिलक्षित होती हैं और जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं ने अपने उत्कृष्ट कार्य शैली से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है; तथापि यह संख्या देश की जनसँख्या के अनुपात में अत्यंत कम है. व्यापक जन समुदाय में अभी भी महिलाओं के विकास की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम है| यह ठीक है कि एक तरफ देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की साक्षरता में सुधार आया है, परन्तु दूसरा तथ्य भी उतना ही विचारणीय है कि अभी भी पुरुषों की तुलना में महिला साक्षरता कीस्थिति में सुधार की आवश्यकता है|

तालिका 1 में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण दिया गया है-

क्र.	वर्ष	पुरुष साक्षरता प्रतिशत	महिला साक्षरता प्रतिशत	अंतर
1	1901	9.8	0.6	9.2
2	1911	10.6	1.0	9.6
3	1921	12.2	1.8	10.4
4	1931	15.6	2.9	12.7
5	1941	24.9	7.3	17.6
6	1951	21.16	8.86	12.3
7	1961	40.40	15.35	25.05
8	1971	45.96	21.97	23.98
9	1981	56.38	29.76	26.62
10	1991	64.13	39.29	24.84
11	2001	75.26	53.67	21.59
12	2011	82.14	65.46	16.68

स्रोत: जनगणना 2011 एवं सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स

अभी भारत में महिलाओं की अनुमानित संख्या लगभग 65.2 करोड़ है (indianonlinepages.com, 2017)|

उपर्युक्त **तालिका-1** के अनुसार देश में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 65.46 है| अर्थात अभी भी देश में लगभग 22.53 करोड़ महिलाएं अशिक्षित हैं. पुरुष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता अभी भी 16.68 प्रतिशत कम है| शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण समेंत सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों के बावजूद महिला साक्षरता की इस स्थिति के पीछे एक प्रमुख कारण है बालिका शिक्षा अथवा महिला शिक्षा के प्रति उदासीनता अथवा दोयम दर्जे का भाव जिसकी शुरुआत घर से होकर समाज के व्यापक दायरे में विस्तारित होती है| महिला प्रतिनिधित्व का यही हाल प्रायः जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है| राष्ट्रीय सैंपल सर्वे आर्गेनाईजेशन के 2010 के आंकड़े के अनुसार भारत में कार्यक्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

तालिका-2: भारत में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाकर्मियों का प्रतिशत

कार्य क्षेत्र	महिला कर्मियों का प्रतिशत
कृषि	68.5%
तम्बाकू उत्पादन	2.6%
वस्त्र उद्योग	2.3%
परिधान/श्रृंगार आदि	5.9%
निर्माण कार्य	5.1%
विद्यालय	3.8%
किराना स्टोर	2.1%
घरेलू सहायता कर्मी	1.6%
व्यक्तिगत सेवाएँ (सौंदर्य उपचार, कपडा धोना, मालिश, शादी-विवाह कराना, आया, झाड़ू-पोछा, बर्तन धोना, आदि)	1.5%
स्वास्थ्य सेवाएँ	1.1%
नौकरशाही	1%

स्रोत: NSSO, 2010

तालिका 2 में दिए गए उपर्युक्त आंकड़े इस बात को पुष्ट करते हैं कि भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व, उनकी भागीदारी की स्थिति क्या है| शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों जैसे मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में तो महिलाओं की भागीदारी अधिक है जहां उन्हें पूर्वनिर्धारित निर्देशों के अनुसार काम

करना होता है, परन्तु उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं को अपने बुद्धिविवेक के अनुसार निर्णय लेना पड़े, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत निराशाजनक है| उपरोक्त आंकड़े के अनुसार नौकरशाही, जहाँ संबंधित अधिकारियों से युक्तिसंगत एवं न्यायसम्मत निर्णय लेने की अपेक्षा रहती है, पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु यथोचित व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त होता है, उस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 1 प्रतिशत है| यह स्थिति परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे समाज में लड़कियों एवं महिलाओं को किन भूमिकाओं को निभाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है या कौन सी भूनिकाओं के निर्वहन हेतु अनुकूल अवसर प्रदान किये जाते हैं|

1.1.1 समाज में महिलाओं की स्थिति, उनका शोषण एवं परिणाम:-

उपर्युक्त तालिका 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का एक प्रमुख निहितार्थ यह है कि महिलाओं की भूमिका जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अधीनस्थ की ही है जो कि एक कठोर यथार्थ है| विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की अल्प संख्या के चलते पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार एवं शोषण के बारे में आए दिन सुनने को मिलता है| साथ ही एक और भी समानांतर यथार्थ इन सबके साथ ही अपना स्थान बना रहा है वह यह कि महिलाओं का होने वाला शोषण और आधुनिक शिक्षा से हो रहे वैचारिक जागरण से महिलाओं में पारंपरिक व्यवस्था का विरोध करने की क्षमता भी विकसित हो रही है| यह प्रतिरोध यदि सकारात्मक दिशा में होता है तो सार्थक परिणाम निकलते हैं, लेकिन महिला शोषण का प्रतिरोध एवं उससे उत्पन्न अन्य प्रकार की नकारात्मकता समाज में एक भीषण स्थिति को जन्म दे रही है और महिलाएँ आक्रामक होकर अपराध की तरफ भी उन्मुख हो रहीं हैं| यह एक भयावह स्थिति है| जिस नारी से समाज ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह एवं वात्सल्य जैसी भावनाओं की आशा करता है, वह यदि इन मानवीय मूल्यों के विपरीत मूल्यों को अपनाती है तो यह एक चिंतनीय स्थिति का द्योतक है| कालान्तर में देश में महिला अपराधियों की संख्या में हुई वृद्धि इस गंभीर चिंतनीय स्थिति की ओर इशारा करती है| तालिका 3 में देश में भारतीय अपराध संहिता के अंतर्गत वर्ष 2001 एवं 2011 में गिरफ्तार अपराधियों का विवरण है जिसमें महिला अपराधियों के बढ़ते प्रतिशत को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है-

तालिका भारत :3-में-IPC अपराध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-(2001-2011)अपराध स्वरूप एवं लिंग के अनुसार-

	वर्ष	2001					2011				
क्र.	अपराध का स्वरूप	पुरुष	महिला	कुल	कुल प्रतिशत		पुरुष	महिला	कुल	कुल प्रतिशत	
					पु.	म.				पु.	म.
1	हत्या	71888	3434	75322	95.4	4.6	66150	4443	70593	93.7	6.3
2	हत्या करने का प्रयास	75844	1995	77839	97.4	2.6	72895	3179	76074	95.8	4.2
3	आपराधिक हत्या	6472	123	6595	98.1	1.9	6928	160	7088	97.7	2.3
4	बलात्कार	19951	495	20446	97.6	2.4	288112	766	28878	97.3	2.7
5	अपहरण एवं फुसलाकर भगाना	29379	1506	30865	95.1	4.9	54956	2527	57483	95.6	4.4
6	डकैती	24396	170	24503	99.6	0.4	16758	250	17008	99.5	1.5
7	डकैती की तैयारी एवं जमघट	7402	28	7430	99.6	0.4	11360	19	11379	99.8	0.2
8	लुट-पाट	29395	128	29523	99.6	0.4	35252	294	35546	99.2	0.8
9	चोरीउठाईगीरी-	65857	1039	66896	98.4	1.6	66819	1549	68368	97.7	2.3
10	चोरी	137964	4250	162214	97.4	2.6	197401	6805	204207	96.7	3.3
11	दंगे	377540	20826	398366	94.8	5.2	334525	19461	353985	94.5	5.5
12	आपराधिक विश्वासघात	15229	422	15651	97.3	2.7	23284	760	24044	96.8	3.2
13	धोखाधड़ी	41303	1484	42787	96.5	3.5	88147	4717	92864	94.9	5.1
14	जालसाजी	1939	41	1980	97.9	2.1	2063	67	2130	96.9	3.1
15	आगजनी	13465	269	13734	98.0	2.0	12077	303	12380	97.6	2.4
16	चोट	458080	30506	488586	93.8	6.2	479835	36063	515898	93.0	7.0
17	दहेज हत्या	15908	4473	20381	78.1	21.9	19814	4764	24578	80.6	19.4
17	छेड छाड़–	41733	511	42244	98.8	1.2	52069	1698	53767	98.8	3.2
18	यौनउत्पीड़न	12299	140	12439	98.9	1.1	9687	193	9880	98.0	2.0
19	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	83546	25921	109467	76.3	23.7	135403	41298	180701	77.1	22.9
20	विदेश से लड़कियों का आयात	206	14	220	93.6	6.4	203	18	221	91.9	8.1
22	लापरवाही से मृत्यु	52280	426	52706	99.2	0.8	90046	267	90313	99.7	0.3
23	अन्य IPC अपराध	924856	46470	971326	95.2	4.8	1144506	63953	1208459	94.7	5.3
24	IPC के तहत कुल संज्ञेय	2526932	144608	2671540	94.6	5.4	2952290	193555	3145845	93.8	6.2

उपर्युक्त तालिका के अनुसार हत्या, आपराधिक हत्या एवं हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार महिलाओं की संख्या जहां वर्ष 2001 में 5552 थी, वहीं यह संख्या वर्ष 2011 में 7782 हो गयी थी. अर्थात हत्या, आपराधिक हत्या एवं हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार महिला अपराधियों की संख्या में 2001 से 2011 आते-आते 40.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई| इसी प्रकार डकैती, डकैती की तैयारी एवं

जमघट, लूटपाट, चोरी, उठाईगिरी आदि के आरोपों में गिरफ्तार महिलाओं की संख्या जहां वर्ष 2001 में 5615 थी, वहीं यह संख्या वर्ष 2011 में 8917 हो गयी थी. अर्थात डकैती, डकैती की तैयारी एवं जमघट, लूटपाट, चोरी, उठाईगिरी आदि के आरोपों में गिरफ्तार महिलाओं की संख्या में 2001 से 2011 आते आते 58.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई| यह स्थिति गंभीर चिंता उत्पन्न करती है. यद्यपि उपर्युक्त तालिका 3 से मात्र यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित वर्षों में किन आरोपों में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था एवं पुरुषों की तुलना में आरोपी महिलाओं का अनुपात क्या है? यह विवरण दोष सिद्धता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है| साथ ही इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि किन कारणों से महिलाएं उपर्युक्त अपराध की घटना में आरोपी बनाई गयीं या उन्होंने उक्त अपराध किया| प्रमाणिक रूप से विभिन्न परिस्थितियों एवं महिला अपराधियों की सहभागिता के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु गहन शोध की आवश्यकता है| परन्तु एक आम समझ इस बात की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि किन संभावित परिस्थितियों में महिलाएं अपराध की ओर उन्मुख हो सकतीं हैं|

1.1.2 कैदी महिलाएं एवं उनके बच्चों की शिक्षा:-

सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक रूप से समाज में यह मान्यता रही है कि माता अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है| बच्चे के जन्म से लेकर जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों का सर्वाधिक समय अपनी माता के सानिध्य में व्यतीत होता है| यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था होती है| इसमें बालक की आदतों, उसके मूल्यों एवं आदर्शों का विकास होता है. उसके आतंरिक संसार का निर्माण होता है| उसकी प्रवृत्तियों, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि का विकास होता है| माता का संरक्षण उसे किशोरावस्था के दिनों के निरंतर बदलाव के दिनों में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन एवं विकास की अवधि में मजबूत सम्बन्ध प्रदान करता है| यह परिस्थिति एक सामान्य परिवार में पल-बढ़ रहे बच्चे की होती है| परन्तु उन बच्चों के लिए, जिनकी माता किसी अपराध के आरोप में जेल में बंद होती हैं, उन बच्चों का जीवन कठिन हो जाता है| उपरोक्त वर्णित स्थिति और माता का संरक्षण तो दूर की बात है, उन बच्चों को दैनिक जीवन यापन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है| ऐसे में उनकी शिक्षा की बात सोच पाना यथार्थ से परे की स्थिति होती है| बालकों के व्यक्तित्व को समाज के लिए उपयोगी बनाने वाली माँ ही होती हैं| परंतु अगर वही माँ अपराधी के रूप में कैद होगी तो वह अपने बालक के विकास में अपना सम्पूर्ण योगदान देने में असमर्थ होगी| ऐसे बालकों का जीवन यापन एवं उनकी शिक्षा सहित अन्य पक्षों के समुचित विकास का उत्तरदायित्व किसी का भी नहीं रह

जाता है. यद्यपि कुछ स्वयंसेवी सस्थाएं समाज में सक्रिय हैं जो ऐसे कुछ बच्चों को चिह्नित कर उनके लिए यथासंभव कुछ सहायता करने का प्रयत्न करती हैं, परन्तु यह संभवतः पर्याप्त नहीं है ऐसे में उन बेसहारा बच्चों की शिक्षा एवं जीवनयापन के लिए सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है| प्रशासन एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं यदि अपनी ज़िम्मेदारी अगर ठीक से निभा भी दे और उन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ भी दिया जाए तो भी जिन संस्थाओं में बालक की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है वहाँ उसके शिक्षक एवं सहपाठ, उसकी पृष्ठभूमि जानकर उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे यह चिंता का विषय है| प्रायः बच्चों के लिए उनकी माँ का अपराधी होना एवं गिरफ्तार होकर कारागृह में बंद होना एक त्रासदिक अनुभव होता है और यह उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता हैं| इसलिए इस स्थिति को बदलने व बेहतर बनाने के लिए इन बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है|

1.1.3 कैदी महिलाएं एवं उनके बच्चों की स्थिति - एक विहंगावलोकन:-

आज लगभग सारे विश्व में महिला अपराध की दर में वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति महिलाओं के अपेक्षित स्वभाव से मेंल नहीं खाती है| महिलाएं सृष्टि निर्माण के आरम्भ से करुणा, क्षमा, सहनशीलता, त्याग आदि गुणों से युक्त रही हैं| इन गुणों के कारण ही पारिवारिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का संवर्धन, संरक्षण और हस्तांतरण होता आया है और मानवसमाज में सभ्यता तथा संस्कृति का विकास हुआ है| उसकी बुनियाद गहरी हुई है, परन्तु कालान्तर में विभिन्न प्रकार की पारिवारिक एवं सामाजिक विसंगतियों से युक्त परिस्थिति एवं परिवेश में महिलाओं द्वारा किये जाने वाले आपराधिक कृत्य में भी वृद्धि हुई है| भारत में बढते हुए महिला अपराध का स्तर एवं संख्या गंभीर चिंता का विषय है|

उपर्युक्त खंड में दी गयी तालिका 3 के अतिरिक्त वर्ष 2015 में भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 3,14,575 महिलाओं को विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार किया गया था| स्थानीय एवम विशेष कानून के तहत पूरे देश में 12,819 महिलाए हिरासत में ली गई| पिछले 5 वर्षों में ये आंकडे कई गुना बढे हैं. भारतीय संस्कृति में परिवार की नींव जिस महिला के संस्कारो पर निर्भर है, उसी महिला के कदम अगर अपराध की ओर बढने लगे तो हमारे भविष्य पर सवालिया निशान लग जाते हैं| अब यह मात्र आलोचना का नही बल्कि चिंता का विषय है| देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र सर्वाधिक महिला अपराधियों वाले राज्यों में से एक है| नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2010 से 2012 तक के आंकड़ो पर गौर करें तो इस राज्य की सर्वाधिक 90,884 महिलाओं को विभिन्न अपराधों के

तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था| देश में 2010 से 2012 तक 93 लाख अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी जिनमें महिलायें 6 फीसदी थीं| यद्यपि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारतीयों जेलों में 4827 महिला कैदियों के रखने की व्यवस्था है,परंतु इस समय इनकी संख्या 18,188 हैं जिनमें 5345 महिलाओं की सजा तय कर दी गई हैं| 12,688 महिलाए अंडरट्रायल या विचाराधीन हैं तो वहीं 98 महिलाओं को डिटेन यानि स्थानीय कानूनों के तहत हिरासत में रखा गया हैं| आंकड़ों के अनुसार1603 महिलाए अपने बच्चों के साथ जेलों में हैं. इन बच्चों की संख्या 1933 है|

1.1.4 महिला अपराधी एवं प्रमुख कारण:-

आपराधिक मामलों में महिलाओं की संलिप्तता का एक बड़ा कारण अशिक्षा भी है. ***जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 'सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमन स्टडीज' की कानून विशेषज्ञ तरन्नुम सिद्दीकी के अनुसार –*** " महिलाओं में शिक्षा की कमी उनके जेल जाने कि सबसे बड़ी वजह है'. समाज में अभी भी बहुत बड़ा तबका लड़कियों को पराया धन समझने के कारण उन्हे पढाने की जरूरत नहीं समझता. अशिक्षा के कारण पैदा हुई अंधश्रद्धा, भोलापन, सूचनाओं की कमी, अपने अधिकार के प्रति सकारात्मक जागरूकता का अभाव, सही मार्गदर्शन तथा सहायता का ना मिलना एवं अपने शोषण के विरुद्ध असहायताभाव से आक्रामकता की तरफ उन्मुख होना महिलाओं को अपराध की ओर धकेलता है. एक तरफ अशिक्षा को अपराध की वजह के रूप में हम देखते हैं तो दूसरी तरफ शिक्षित, हाई- प्रोफ़ाइल महिलाएँ भी आपराधिक मामलो में कम नहीं हैं. अनपढ़ और गरीब घर की लड़कियाँ तो अपराध की दुनिया में विवशता एवं विकल्पहीनता की स्थिति में आती हैं, परंतु कई अमीर घरो की लड़कियाँ भी भौतिकता एवं बाजारवाद के दबाव, बिखड़े व टूटे हुए परिवार, परिवार की आर्थिक स्थिति, घर में अनैतिक वातावरण की व्याप्ति, माँ-बाप के अपने-अपने क्षेत्र में व्यस्त रहने के कारण, सौतेली होने के कारण दुर्व्यवहार का शिकार होने एवं सही परामर्श के अभाव जैसे कारणों से अपराध में संलिप्त हो जाती हैं. "

दास, एस (2013), ने अपने अध्ययन ***वुमन प्रिज़नर इन ओड़ीसा : ए सोशियों कल्चर स्टडी में*** निष्कर्ष के रूप में पाया कि " यहां पर ज्यादातर महिलाएँ इसलिए कैद है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है साथ ही साथ इन लोगों के घरवाले इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं. यहाँ की महिलाएँ ज्यादातर अनपढ़ होने की वजह से उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है इसलिए भी यह यहां पर कैद हैं| "

स्वर्गाइरी*(2012)*, ने अपने अध्ययन *द फ़ीमेंल ऑफ़ेंडर्स अँड देयर इंटरपर्सनल रिलेशन्स इन द फॅमिलीस्वर्गा* में निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि "महिलाओं का अपराध की ओर बढ़ने का कारण उनका वैवाहिक जीवन में समायोजन न होना , परिवार का वातावरण दोषपूर्ण होना , पति–पत्नी में अलगाव , महिलाओं का हठी स्वभाव का होना हैं। हमारे देश में लड़कियों को घर में दबाकर रखा जाता है साथ ही उनका लैंगिक शोषण भी एक अपराधी बनने का कारण रूप में पाया गया| "

1.1.5 कैदी महिला एवं उनके बच्चों की शैक्षिक स्थिति:-

भारत के जेलों में अपराधसिद्ध और विचारधीन महिलाए जेलों में अकेली नहीं हैं. उनके साथ उनके बच्चे भी इस यातना के बीच पल-बढ़ रहे होते हैं| माताओं के साथ इन बच्चों के रहने, खाने - पीने, शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम जेल प्रशासन को ही करना पड़ता है| लेकिन कैदियों की तरह इन बालकों पर कोई पाबंदी नहीं होती है| कभी यह बच्चे जेल अधीक्षक के कमरे में या फिर जेल के ही अंदर मगर खुली जगह या बरामादे में खेलते रहते हैं| यह व्यवस्था जेल प्रशासन के अधिकारी की मानसिकता पर निर्भर करती है. माँ के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो जेल में प्रशासन की ओर से क्रेच, पालनाघर आदि की व्यवस्था की जाती है| अगर जेल अधिकारी की सोच एवं उनका दृष्टिकोण ठीक होता है तो वे इन बच्चों के लिए पोषक आहार की व्यवस्था करते हैं. साथ ही उनके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए भी कुछ प्रबंध किया जाता है| अगर जेल प्रशासन के पास इस व्यवस्था के लिये पैसे की व्यवस्था नहीं होती है तो जेल अधिकारी प्रयास करके किसी स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करके उनसे इन बच्चों के लिए खेल के साधन, शिक्षण सामग्री और साथ ही उनका समय या सहायता भी लेने का प्रयत्न करते हैं| जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ऊपर हो जाती है उन बच्चों को प्रशासन की ओर से सरकारी पाठशाला में दाखिला कराके उनको सरकारी छात्रावासों में रखने की व्यवस्था की जाती हैं| परंतु बढ़ती उम्र के साथ बच्चों, जिनकी उम्र 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, बच्चों के समझ में आने लगता है कि उनकी माँ को जेल में क्यों रखा गया है| तब उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर होने लगता है और फिर उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और इस स्थिति का असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ता है| ऐसे में अगर उन्हे सही तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो ऐसे उनके रास्ता भटकने की संभावना ज्यादा होती है|

***किंगी (2000)*, ने अपने अध्ययन *'द चिल्ड्रेन ऑफ़ वुमेंन इन प्रिज़न : ए न्यूज़ीलैंड स्टडी'* में** निष्कर्ष के रूप में पाया कि "जिन बच्चों की माँ को सजा हो जाती हैं उन बच्चों को उनके किसी

रिश्तेदार के यहाँ रहने का स्थान नहीं मिलता है तो वह बच्चे आगे जाकर अपराध के रास्ते पर निकल Sजाते हैं| इसलिए ऐसे समय में इन बच्चों को सकारात्मक मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है और यह काम सिर्फ शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है इसलिए इन बच्चों के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाना बहुत आवश्यक है|"

1.1.6 कैदी महिलाएँ व उनके बच्चों का सामंजस्य:-

क़ैदी महिलाओं के बच्चों को विद्यालय के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सामान्यतः बहुत कठिनाई होती है| क्योंकि विद्यालय का वातावरण उनके लिए बहुत अलग होता है. प्रायः विद्यालय के परिवेश में शिक्षकों और सहपाठियों का उन बच्चों की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है. इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उन बच्चों की पृष्ठभूमि, उनकी माता का आपराधिक इतिहास उन बच्चों के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर देती है| इस तरह के पूर्वाग्रह से युक्त वातावरण में इन बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा एक स्वस्थ एवं पक्षपात रहित वातावरण का निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती है| आम तौर पर कैदी महिलाओं के बच्चों के लिए अपने सहपाठियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है| क्योंकि ये बच्चे जिस पारिवारिक-सामाजिक-शैक्षिक वातावरण से आते हैं, उनका अन्य बच्चों की तुलना में वह वातावरण भिन्न होता है| इन बच्चों के साथ सामान्य बच्चे के दोस्ती करने की संभावना कम हो सकती है| कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि सामान्य परिवार के बच्चे ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, और अगर दोस्ती हो भी जाती है तो इन सामान्य बच्चों के घरवाले इन बच्चों के साथ रहने के लिए मना करते हैं क्योंकि इन अभिभावकों को लगता है इन बच्चों के साथ रहने से उनके बच्चे बिगड़ जायेंगे| इस स्थिति में यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि कैदी महिलाओं के बच्चे ऐसी परिस्थिति में अपना सांवेगिक संतुलन बना पाने में किस हद तक सफल हो पाते हैं एवं उनकी शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

1.1.7 कैदी महिलाएं एवं बच्चों के लिए उनकी शैक्षिक जागरूकता:-

सामान्यतः कोई भी माता यह नहीं चाहती कि उसके बच्चे जीवन में गलत दिशा की ओर जाएं. यह बात उन महिलाओं पर भी लागू होती है जो कैद में हैं| कैदी महिलाएँ भी आम तौर पर अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक दिखाई देती हैं| वे चाहती हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ लिखकर देश के अच्छे नागरिक बने| परन्तु इस बात का अध्ययन करना उचित होगा कि कैदी महिलाओं में उन महिलाओं का

प्रतिशत कितना है जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक हैं एवं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वे किस प्रकार का प्रयत्न करती हैं? सामान्यतः उक्त महिलाओं की जानकारी या तो सीमित होती है या उन्हें अपने इर्द गिर्द की उलझनों के बीच इतना समय नहीं मिल पाता कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ ठोस निर्णय ले सकें| प्रायः वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती है परंतु उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वे अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिलाएँ और उन बच्चों को शिक्षित बनाए| आम तौर पर उन्हें सरकार की और से बच्चों की शिक्षा के लिए किये जाने वाले प्रावधानों की जानकारी भी नहीं होती हैं. अतः इस बात की पड़ताल करना आवश्यक प्रतीत होता है कि कैदी महिलाओं का अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूकता का स्तर क्या है?

1.1.8 कैदी महिलाओं बच्चों की शिक्षा एवं सरकारी व गैर-सरकारी प्रयत्न:-

क़ैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं – जैसे बाल विकास योजना, बाल संरक्षण एवं विकास योजना तथा महिला सशक्तिकरण योजना आदि, के अंतर्गत नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसके अतिरिक्त सरकार गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस हेतु आर्थिक अनुदान देती है. महाराष्ट्र राज्य के विशेष संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 से 'बाल संगोपन योजना' चलाई जा रही है जिसमें अन्य बच्चों के कल्याण के अतिरिक्त कैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है| अगर इन बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं होता है तो इन्हें बिना शुल्क आश्रमशालाओं में रहने और पढ़ने की सुविधा दी जाती है| तथापि विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त परिणाम यह बताते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं हो पाती|

भण्डारी (2015), ने अपने अध्ययन ***'सोशियो–लीगल स्टेटस ऑफ वुमन प्रिजनर्स एंड देयर डीपेंडेंट चिल्ड्रेन : ए स्टडी ऑफ सेंट्रल जेल ऑफ राजस्थान'*** में निष्कर्ष के रूप में पाया कि "महिला अपराधियों और उनके बच्चों की समस्याओं कों देखते हुए उनको परिवार का दौरा, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसी कुछ शर्तो कों विशेष रूप में ध्यान में रख कर जेल मैनुअल में आवश्यक सुधार करते हुए इन्हें भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए| साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष क़ानूनों का भी प्रावधान करना चाहिए| महिलाओं को जब जेल में भेजा जाता है तो उसी

समय इन बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाला अगर कोई रिश्तेदार न हो तो सरकार को उसी वक़्त इन बच्चों के रहने और पढ़ाई का प्रबंध तुरंत हो ऐसा कानून बनाना चाहिए|"

भारतीय विश्वविद्यालयों में बच्चों की शिक्षा एवं अन्य संबंधित विषयों का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकला कि विभिन्न प्रकार के वर्गों के बच्चों की शिक्षा के ऊपर अनेक शोध हुए हैं, परन्तु कैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के ऊपर समुचित मात्रा में शोध कार्य नहीं हो पाए हैं| अतः उपर्युक्त खण्ड में वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाए जिसके माध्यम से उनकी शिक्षा से संबंधित उपरोक्त वर्णित विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया जाए।

1.2 समस्या कथन-

"कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन"

1.2.1 पारिभाषिक शब्दावली-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया है उनकी परिभाषा शोधकर्ता द्वारा निम्नाकित रूप में की गई हैं |

कैदी महिला –

प्रस्तुत शोध कार्य में कैदी महिलाओं से तात्पर्य उन महिलाओं से है न्याय दण्ड व्यवस्था द्वारा दोषी पाये जाने के बाद कारागृह में बंदी है| इन्ही महिलाओं को इस अध्ययन के लिए लिया गया हैं |

शैक्षिक स्थिति-

प्रस्तुत शोध कार्य में शैक्षिक स्थिति से तात्पर्य कैदी महिलाओं के बच्चों के शिक्षा स्थिति से हैं |

1.2.2 शोध का लक्ष्य:-

प्रस्तुत शोध का लक्ष्य निम्नाकित रूप में चयनित किया हैं। अमरावती जेल में कैद महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जायेगा |

1.2.3 शोध प्रश्न:-

1.कैदी महिलाएँ अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक हैं ?
2.कैदी महिलाओं के बच्चों का शैक्षिक अभिवृत्ति का स्तर कैसा हैं ?
3.कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा कैसी होती हैं ?
4.कैदी महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि का स्तर क्या होगा ?

1.2.4 शोध उद्देश्य:-

1.कैदी महिलाओं का उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अन्वेषन करना।
3. कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन करना॥
4. कैदी महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि का विवेचन करना।
5. कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना

1.2.5 शोध का महत्व:-

प्रस्तुत शोध कार्य कैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर कैदी महिलाओं के बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाये जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके - यह अंतर्दृष्टि विकसित हो सकेगी। इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत कैसे लाया जाए? यह स्पष्टता आ सकेगी। इन बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाये जिससे वे बेहतर अधिगम कर सके यह पता चल सकेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैदी महिलाओं के बच्चों के शिक्षा के लिये यह शोध बहुत महत्वपूर्ण होगा॥

1.2.6 शोध का औचित्य:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति से संबंधित है। इस तरह के अध्ययन कार्य अब तक इस स्तर पर नहीं हुए हैं।अतः इस स्तर पर इस तरह के शोध कार्य की जरुरत है। पूरे देश में "शिक्षा का अधिकार" कानून के द्वारा देश के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर

किए जाने वाले प्रयत्नों के आलोक में क्या कारागृह में कैद महिलाओं के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिल रहा हैं? यह जानने की शोधकर्ता की जिज्ञासा से इस शोध प्रस्ताव का सृजन हुआ है। कैदी महिलाएँ अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति कितनी जागरुक है? इन बच्चों के शैक्षिक आकांक्षा, अभिवृति एवं उपलब्धि का स्तर कैसा है? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर से वर्तमान भारतीय समाज एवं शैक्षिक प्रक्रिया की दशा दिशा मर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतः प्रस्तुत विषय का चयन शोध कार्य के लिए किया गया।

1.2.7 शोध का परिसीमन:-

प्रस्तुत शोध कार्य अमरावती कारागृह की महिला कैदियों एवं उनके बच्चों तक सीमित है। इस कार्य में कैदी महिलाए, कैदी महिलाओ के बच्चे एवं उनके अभिभावकों को शामिल किया जायेगा।

संबंधित साहित्य की समीक्षा:-

संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या सेसंबन्धित क्षेत्र में पुस्तकों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोधों तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों के अध्ययन से है,जिनके अध्ययन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के उद्देश्य, शोधविधि, न्यादर्श तथा समुचित सांख्यिकी के चयन में सहायता प्राप्तहोती है।

संबन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब तक क्या ज्ञात हो चुका है और क्या जानने को शेष है, क्योंकि प्रभावपूर्ण शोध अध्ययन पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होता है। इससे न केवल शोध कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है, बल्कि इससे परिकल्पना निर्माण में भी सहायता मिलती है **(बेस्ट व कान 2007)**।

यह अध्ययन प्रासंगिक विषय से संबन्धित सभी पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का वर्णन करता है साहित्य का अध्ययन हमें यह अंतर्दृष्टि देता है कि किसी समस्या पर क्या-क्या शोध हो चुका है और क्या नहीं एवं यह किसी विषय में वर्तमान शोध की स्थिति को इंगित करता हैं इस प्रकार से यह किसी भी विषय में क्या योगदान किया जा सकता है उस को सामने लाता है।

किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव को बनाता है, जिसके ऊपर भविष्य का कार्य किया जाता है। यदि हम साहित्य समीक्षा द्वारा किये गए ज्ञान की नींव बनाने में असमर्थ होते है तो हमारा कार्य संभावतः तुच्छ और प्रायः उस कार्य की नकल मात्र ही होता है जो कि पहले ही किसी के द्वारा किया जा चुका होता है)।

दास (2013), नें अपने शोध शीर्षक **'वुमन प्रिज़नर इन ओड़ीसा : ए सोशियों कल्चर स्टडी'** विषय पर अध्ययन किया। उद्देश्य के रूप में महिलाओं को अपराध करने के लिए जो सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आदि कारकों का और महिला अपराधियो के कारावास में रहने के अनुभवों का अध्ययन किया। इस शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ो को शामिल किया गया हैं। प्राथमिक आकड़ों में महिला अपराधी, जेल कर्मचारीयों को शामिल किया गया हैं। उपकरण के रूप में प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतो में जनगणना, जेल अधिकारियों और कैदियों के कानूनी और न्यायिक रिकॉर्ड शामिल किए गये हैं। इस शोध में प्रतिदर्श के रूप में ओड़िसा के तीन जेल चौदवार सेंट्रल जेल, झरपाड़ा भुवनेश्वर

जिला जेल और बोलोंगीर जिला जेल में से 35 महिला कैदियो को जो पिछले पाँच सालों से अधिक कैद में हैं, ऐसे महिलाओं को शामिल किया है। निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि यहाँ पर ज्यादातर महिलाए इसलिए कैद हैं क्योंकी उनके पास पैसा नहीं है, साथ ही साथ इन लोगों के घरवाले इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। यंहा की महिलाए ज्यादातर अनपढ़ होने के कारण उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। इसलिए भी वे यहाँ पर कैद हैं। इन्हें यहाँ पर कैद में इतनी ज्यादा रोक-टोक लगायी जाती है कि इनका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का विकास नहीं हो पाता हैं। इन्हे यहा पर कोई अच्छी स्वास्थ्य सेवाए नहीं दी जाती हैं इसलिए यहाँ की महिलाओं में ब्लड प्रेशर, डाइबटीज़, रजोनिवृत्ति के विकार , दमा और गठिया जैसे रोगों से ग्रसित होती हैं।

स्वर्गाइरी (2012), ने अपने शोध शीर्षक **'द फ़ीमेंल ऑफ़ेंडर्स अँड देयर इंटरपर्सनल रिलेशन्स इन द फॅमिली'** पर अध्ययन किया। उद्देश्य के रूप में महिला अपराधियों के वैवाहिक समायोजन और उनके सुरक्षा–असुरक्षा की भावनाओं का और पति के घर में मिलने वाले वातावरण के अनुभवों का अध्ययन किया। शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया। इस शोध में प्रतिदर्श के रूप में असम के 11 जिला जेल के 76 महिला अपराधियों का चयन किया गया। निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि महिलाओं का अपराध की ओर बढ़ने का कारण उनका वैवाहिक जीवन में समायोजन न होना, परिवार का वातावरण दोषपूर्ण होना , पति–पत्नी में अलगाव , महिलाओं का हठी स्वभाव का होना है। हमारे देश में लड़कियों को घर में दबाकर रखा जाता है साथ ही उनका लैंगिक शोषण भी एक अपराधी बनने के कारण के रूप में पाया गया।

कुरी (2013), नें अपने शोध शीर्षक **'वुमन इन प्रिज़न : ए फोर्गोटन पापुलेशन'** पर अध्ययन किया। उद्देश्य के रूप में अपराधी महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया। शोध विधि के रूप में माध्यमिक अनुसंधान दृष्टिकोण का उपयोग किया| गया आंकड़े जमा करने के लिए विश्वविधालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और इंटरनेट का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष के रूप में यू.के. के जेल में अपराधी पुरुष की संख्या में महिला अपराधी सिर्फ 5 होने के बावजूद उनको मिलने वाली सुविधाए पुरुषो से कम हैं महिलाओं को पुरुषो से स्वास्थ्य समस्याए ज्यादा होने के बावजूद उन्हे पुरुषो की तुलना में सुविधाएं कम दी जाती हैं। इसका कारण है शासन प्रणाली का महिलाओं के प्रति उदासीनता का भाव है। यू.के. के कारावास महिलाओं के रहने के लायक नहीं हैं। इसलिए इन महिलाओं के समस्याओ को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर इसका समाधान करना चाहिए।

किंगी (2000), ने अपने शोध शीर्षक **'द चिल्ड्रेन ऑफ़ वुमेंन इन प्रिज़न : ए न्यूज़ीलैंड स्टडी' पर अध्ययन किया।** उद्देश्य के रूप में न्यूजीलैंड की जेल में रहने वाली अपराधी महिलाएं और उनके बच्चों के आंतरिक संबंधो में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने यह शोध अध्ययन दो चरणों में किया है। पहले चरण में उन्होने आमने-सामने साक्षात्कार लिया।इस साक्षात्कार के लिए उन्होने न्यूजीलैंड के तीन जेल से 56 महिलाओं का साक्षात्कार 2004 में लिया। दूसरे चरण में उन्होने पहले लिए हुए 57 महिलाओं में से 37 महिलाओं का फिर से अगले दो साल में साक्षात्कार लिया। निष्कर्ष के रूप में पाया कि कैद में जो महिलाएं हैं उन्हे अपने बच्चो और परिवार के साथ आंतरिक संबंध बनाए रखने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के प्रति शासन बहुत ही उदासीन दिखायी देता है। कैद में रह रही महिलाएं रिहा होकर वापस अपने समुदाय जाती हैं। ऐसे वक्त के लिए ये महिलाए अगर अपने घर वालों से आंतरिक संबंध बनाए नहीं रखेगी तो उनके लिए तो समस्या हो जाएगी। इसलिए इन महिलाओं की इन समस्याओं को देखते हुए शासन को इनके लिए कुछ प्रावधान करने चाहिए। अपराधी महिला पहले एक मानव है। इसलिए मानवाधिकार के तहत उनकी इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इस शोध के निष्कर्ष में दिखाया गया है कि जिन बच्चों की माँ को सजा हो जाती है उन बच्चों को उनके कोई रिश्तेदारों के यहाँ रहने का स्थान नहीं मिलता है तो वे बच्चे आगे जाकर अपराध के रास्ते पर निकाल जाते हैं। इसलिए इन महिलाओं को उनके बच्चों के साथ मिलने और रहने के लिए उन्हे ज्यादा-से-ज्यादा बीच – बीच में छुट्टियों का प्रावधान मिलना चाहिए। क्योकी बच्चों के जीवन को बनाने वाली उसकी अपनी माँ ही होती है।

कनविंगटन(1998),ने अपने शोध शीर्षक **'वुमेंन इन प्रिज़न: अप्रोचेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ़ मोस्ट इनविजिबल पापुलेशन'**पर अध्ययन किया। उद्देश्य के रूप में अपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अध्ययन किया। एक व्यापक और समन्वित उपचार मॉडल पर चर्चा करने के लिए अध्ययन किया। मॉडल को न्याय प्रणाली में लाने के बाद के परिवर्तन का अध्ययन किया। निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि महिलाएं जेल में एक खतरनाक मादक पदार्थो से संबंधित अपराधो के लिए जेल में आ रही हैं। इसका उपाय करना जरूरी है। उपचार सेवाएं उनके जीवन की वास्तविकताओ को प्रबंधित करने के लिए बनायी गयी हैं। न्याय प्रणाली का यह काम है कि अच्छे स्तर पर इन महिलाओं को बेहतर सेवाए प्रदान करे।

शेलली , स्टेसी और जेल्डा (2008) ,नें अपने शोध शीर्षक **'चिल्ड्रेन विथ इंकारकेरेटेड पेरेंट्स'** पर अध्ययन किया। शोध का उद्देश्य कैद में रह रहे माता – पिता और उनके बच्चों के बारे में सूचनाए जमा करने का अध्ययन करना है। इसमें शोध-विधि के रूप में एक वर्णनात्मक शोध विधि का उपयोग किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में कैदी माता –पिता और उनके 17 वर्ष के अंदर के बच्चों का चयन किया गया। इस शोध निष्कर्ष में पाया कि जो कैद में माता – पिता और उनके बच्चों के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध हों पाती हैं क्योंकि जो माता पिता जेल चले जाने के बाद अगर उन्हें कोई घर या उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता है तो वह बच्चे भटक जाते हैं और उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए अगर कोई उनके बारे में जानना चाहे या मदद करना चाहे या फिर उनको फिर से समाज में प्रस्थापित करना चाहे तो मुश्किल हो जाता है।

रिजवाना अब्बास और मंजूर (2015), ने अपने शोध शीर्षक **'सोसिओ-इकोनोमिक फेक्टर ऑफ़ वुमेंन्स इन्वोंवेमेंट इन क्राइम इन पंजाब, पाकिस्तान'** पर अध्धयन किया। उद्देश्य के रूप में महिलाओं के अपराध की ओर आकर्षित होने की अभिप्रेरणा क्या है ? इसका अध्ययन करना। अपराधी महिलाओं का प्रमाण कहाँ ज्यादा है ग्रामीण या शहरी भाग में इसके बारे में अध्ययन करना। यह शोध मात्रात्मक शोध है। प्रतिदर्श के रूप में लय्याह जिला जेल की ५० महिला अपराधी महिलाओं का समावेश किया गया और आकड़ों के लिए साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया। निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि यहाँ पर महिला अपराधी छोटे-छोटे अपराधों में आयी हैं। जैसे चोरी करना, घर में अच्छा बर्ताव न करना। इन लोगों के घरवाले इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं इसलिए भी वे लोग भी यहाँ पर कैद हैं। कानून के बारे में कोई जानकारी न होने की वजह से भी वो जेल में ही रह रही हैं।

देवरमानी ने अपने शोध शीर्षक **'कस्टोडियल प्रोविज़न फॉर वुमेंन : एन एम्पेरिकल स्टडी ऑफ़ कर्नाटका सेन्ट्रल प्रिज़न'** पर अध्ययन किया गया। जिसमें उद्देश्य के रूप में जेल में महिला कैदियों के लिए उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का अध्ययन किया । जेल में महिला कैदियों के बच्चों से संबन्धित प्रावधानों का अध्ययन।प्रतिदर्श के रूप में कर्नाटक के 7 जेलों में से दोषसिद्ध 65 महिलाओं का चयन किया गया।इस शोध अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ो का उपयोग किया गया। प्रथम आंकड़ो का चुनाव संरचित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा किया गया और द्वितीयक आंकड़ो का चुनाव किताबों ,पत्र-पत्रिकाओं और इंटरनेट द्वारा किया गया है। निष्कर्ष के रूप पाया गया कि यहाँ जो महिलाएं

हैं वे ज्यादातर 30-40 वर्ष आयु वर्ग की हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वे ज्यादातर मजदूर और घर पर ही काम करने वाली हैं। इन लोगों ने जो अपराध किए हैं, उसके प्रमुख कारण सामाजिक और आर्थिक हैं।

भण्डारी (2015), ने अपने शोध शीर्षक **'सोशियों–लीगल स्टेटस ऑफ वुमन प्रिजनर्स एंड देयर डीपेंडेंट चिल्ड्रेन : ए स्टडी ऑफ सेंट्रल जल ऑफ राजस्थान'** पर अध्ययन किया। उद्देश्यों के रूप में जेल में रहने वाली महिलाएं तथा उनके साथ रहने वाले उनके छोटे बच्चों को जेल में होने वाली समस्यओं का एवं जेल में रहने वाले महिलाओं और उनको बच्चों पर कारावास के वातावरण का परिणाम का परिवार के साथ संबंधो का अध्ययन किया। आंकड़ों के संकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक स्रोत के रूप में राजस्थान के 8 केन्द्रीय करावासों में रहने वाली दोषसिद्ध और विचाराधीन महिला कैदियों तथा द्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं और सरकारी रिपोर्टों का चयन किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में राजस्थान के 8 केन्द्रीय करावासों में से 180 कैदी महिलाओं का सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति से चयन किया गया। निष्कर्ष के रूप में पाया कि महिला अपराधियों और उनके बच्चों की समस्याओं कों देखते हुए उनको परिवार का दौरा , कानूनी सहायता , व्यावसायिक प्रशिक्षण ,जैसी कुछ शर्तो को विशेष रूप में ध्यान में रख कर जेल मैनुअल में आवश्यक सुधार करते हुए इन्हें भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष कानूनों का भी प्रावधान करना चाहिए।

कोव्हिंग्टन एस और ब्ल्यूम बार्बरा (2003) जेंटर्सकास्टोस: वुमन इन द क्रिमिलन जस्टीस सिस्टीम उस शोध-पत्र में महिला कैदियों की अमरीकी परिप्रेक्ष्य में अमरीकी न्यायिक व्यवस्था के सापेक्ष लिंग भेद में कैदी महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया है। अपने इस शोध पत्र में उन्होनें अमरिका के जेलों में स्थित महिला कैदियों की स्थिति का अवलोकन कर यह निहितार्थ निकाला

1) अपराधीकरण में लिंग का अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होली है तथा न्यायीक प्रणाली पर इसका प्रभाव होता है।

2) महिला कैदियों की अपराधीकरण का नक्शा, नमुने पर कैदियों की संस्कृती का प्रभाव पाया गया।

3) नशीले पदार्थो से संबंधित अपराधों में ज्यादातर महिलाओं के साथ अमरीकी न्यायिक व्यवस्था से सजा प्राप्तता में अबतक महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। ऐसा शोधकर्ता का मानना है

अमरीकी जेलों में महिला कैदियों में पुर्नवसन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता शोधकर्ता द्वारा व्यक्त की गयी है।

क्रिस्टोफर जे मुमोला (2000) इनकाईसेरेटेड पेरेंटस् अॅड देअर चिल्ड्रेन ब्युरो ऑफ जस्टीस स्टेटास्टीक्स स्पेशल रिपोर्ट-डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस वॉशिंग्टन डिसी. ब्युरो ऑफ जस्टीस स्टेटॅस्टीक्स वॉशिग्टन डिसी इस शोध में शोधकर्ता ने अमेरिका को राज्य तथा संघीय जेलों के कैदियों की सांख्या का संख्यात्मक तुलना कर अपने निष्कर्ष निकाले है। शोधकर्ता ने 1997 के सर्वेक्षण को आधारभुत कैदियों की संख्या को आधारभूत मानकर शोध पत्र प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष नें शोधकर्ता ने पाया कि

1. अधिकतम अपराधियों को न्यूनतम एक अल्पवयीन औलाद है। जिन में पिता कैदियों की संख्या 44 प्रतिशत तथा माता कैदियों की संख्या 64 प्रतिशत पायी गयी जो अपने बच्चों के साथ कैदी है।

2. उनमें 50 प्रतिशत लगभग निग्रो वशं के कैदी पाये गये।

3. राज्य के जेलों में स्थित कैदियों में से लगभग 70 प्रतिशत कैदी हाईस्कुल डिप्लोमा पास पाये गए वही संघीय जेलों में कैदियों का प्रमाण 55 प्रतिशत पाया गया।

4. 40 प्रतिशत पिताओं का तथा 60 प्रतिशत माताओं का अपने बच्चों के साथ सप्ताह में एक बार मिलना राज्य जेलों में पाया गया। वही संघीय जेलों में माता व पिता के अपने बच्चों से मिलने का साप्ताहिक प्रमाण समान पाया गया।

5. राज्य तथा संघीय दोनो जेलो में कैदियों के अपाराधीकरण का कारण नशीली दवाओं एवं पदार्थो की तस्करी, लैंगिक अपराध, तथा हिंसात्मक अपराध पाया गया।

एनेकु उसिओमा (1998) ने अपने शोध शीर्षक ' निडस् अॅसेसमेंट इन एज्यूकेशनल प्रोव्हीजन फॉर फॅरेन प्रिजनर्स' जर्नल ऑफ करेकशनल एज्यूकेशन में प्रकाशित अपने शोध पत्र में शोधकर्ता ने पाया कि युरोप और उत्तर अमरीका के जेलों में 1980 से 1990 के दशक में विदेशी कैदियों की संख्या में बढोत्तरी हुई। शोधकर्ता ने पाया की इन जेलों में नाजेरियन नागरीकों की संख्या ज्यादातर पाया गयी। जिसका कारण सामान्यत: तीसरे जगत कर न्यूनतम जीवनयापन पाया गया। शोधकर्ता ने पाया कि यह विदेशी कैदी मातृभुमी को छोडकर विदेशों में अच्छे जिवनयापन के उद्देश्य से आये किंतु उद्देश्य में

सफलता न पाकर वह अपराधों में लिप्त होकर सजाप्राप्त हुए और सजा समाप्त होने के बाद स्वदेश में वापस छोड़ दिये गये। स्वदेश लौटे इन कैदियों को शिक्षित होने के बावजूद स्वदेशी सरकार ने नौकरियों से वंचित कर दिया। कारण दंडप्राप्त व्यक्ति है यह बताया गया। इन कैदियों में से ज्यादातर कैदी मेंहनत मजदूरी के कामों में पाये गये। छोटी संख्या में लघु व्यापारी भी पाये गये। शोधकर्ता ने अंन्तत: जेल में दो कैदियों को सजा के दौरान व्यवसायिक शिक्षा देने की सिफारिश प्रस्तुत शोधपत्र में की है।

अनुपमा कौशीकने अपने शोध शीर्षक 'विमेंन क्रिमिनल्स ए केस स्टडी फ्राम इंडिया' मल्टी डिसीप्लीनरी जर्नल ऑफ ह्यु मॅनिटीज ॲड सोशल सायंसेसमें प्रकाशित अपने इस शोध में शोधकर्ता ने भारत के विभिन्न प्रदेशों के तिन कारागृहों में (वाराणसी, जयपुर और फिरोजपुर) स्थित महिला कैदियों की स्थिति का अध्ययन किया। न्यादर्श में वाराणसी जेल के 59 सजाप्राप्त महिला कैदी तथा 5 बच्चे (महिला कैदियों के साथ रहने वाले) जयपुर जेल की 150 महिला कैदी (सिध्दपराधी) तथा फिरोजपुर जेल की 31 सिध्दपराधी महीला कैदीयों का चयन किया गया। निष्कर्षो से पाया गया की

1. भारत के परिदृष्य में किसी महिला को अपराधस्वरुप जेल में जाना सामाजिक दृष्टि से बहुत अपमान जनक है।

2. ज्यादातर महिला कैदी दहेज प्रतिरोध कानुन द्वारा अपराधी पायी गयी तथा दहेज के प्रताडना से कौंटुबिक हिंसाचार द्वारा अपराधी पायी गयी

3. खुन जैसे जघन्य अपराधों का कारण भी पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा जबरन वेश्यावृत्ति करवाने या बलात्कार यह दो महत्वपूर्ण कारण पाये गये। शोध के अंतिम बिंदु में शोधकर्ता ने महिलाओं की शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण न होना भी उनके आपराधिक स्थिती का कारण को रेखांकित किया है।

मिली पि पुरुमल आर और चेरियन निला (2005) : ने अपने शोध शीर्षक ' फिमेंल क्रिमीनॉलीटी इन इंडिया : प्रिव्टीलेंस, कॉजेस ॲड प्रिवेंटीव्ह मेंजर्स'। अपने इस शोध में शोधकर्ता ने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरों से प्राप्त आकडों को आधारभूत मानकर महिला अपराधियों का वर्णन किया है। इस शोध पत्र में शोधकर्ता ने पाया कि महिला अपराधियो की संख्या में विगत दो वर्षो की तुलना में इस वर्ष 2004 में वृद्धि हुई है। इस शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में प्रचलित अपराधीकरण के प्रकारों के आकर्षण का प्रभाव जॉचना तथा अपराधीकरण के सामाजिक पर्यावरण की भूमिका का

अध्ययन करना था तथा महिला अपराधीकरण का प्रमुख कारणों की पहचान कर ताजा अपराधिक प्रवाह को चिन्हित करना भी था। निष्कर्षो में शोधकर्ता ने पाया कि

1. संयुक्त राष्ट्रों द्वारा पारित कैदियों की स्थिति पारदर्शक न्यूनतम नियम 1955 पर न्यायिक आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक विविधता दुनियाभर में पायी जाती है। इस 1955 के संयुक्त राष्ट्रों के नियमों की क्रियान्वयन ठीक तरीके से कही पर भी नही होता पाया गया।

2. कैदी महिलाए एवं उनके साथ रहने न रहने वाले बच्चों में सुयोग्य तरीके से होने वाले संवाद का अभाव पाया गया।

3. न्यायिक व्यवस्था में भी त्रुटियाँ पायी गयी कि जिस उद्देश्य से महिला को अपराधी घोषित कर उसे दंडित किया गया है। उसके दंडित करने के उद्देश्यों का मूल्यांकन न्यायिक व्यवस्था द्वारा नहीं किया जाता है|

4. महिला अपराधीकरण संबंधित महिला अपराधीकरण के प्रचलित सिद्धांतों के पास अपराधिक कारणों के समेकित उत्तर नहीं है।

क्रिस रॉस(2004) ने अपने शोध शीर्षक 'विमेंन्स पार्टीसीपेशन दन प्रिझन एज्युकेशन : व्हॉट वुई नो ॲड व्हॉट वुई डोन्ट नो' जर्नल ऑफ करेक्शनल एज्युकेशन अपने शोध-पत्र में अमेंरिका स्थित महिला कारागृहो में 1979 से 1997 तक सरकार द्वारा आयोजित विविध व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों की आकडों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह शोध पत्र प्रस्तुत किया है। इस शोध पत्र में शोधकर्ता ने शिक्षा से संबंधित दिन विविध कार्यक्रमों का महिला कैदियों पर क्या प्रभाव हुआ है। इसका अध्ययन किया है। साथ ही महिला कैदियों के लिये कार्यरत स्वयंसेवी संस्था, समूह तथा जेल स्थित आंतरिक समूह इनके प्रभाव का भी महिला कैदियों के कारागृह शिक्षा पर होने वाले प्रभावो का अध्ययन किया है। निष्कर्षो में शोधकर्ता ने पाया कि

1. धार्मिक अभ्यास समूह, कैदी सहायक समूह, कैदी व्यक्तिगत प्रगतिकरण समूह, जीवन कौशल शिक्षा, स्वयंसेवी शराब प्रतिबंधित समूह, आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तथा शैक्षिक कार्यक्रम इन कार्यक्रमों का समावेशन शोधकर्ता ने महिला कारागृहों में अधिकतम पाया।

2. इनमें 23 प्रतिशत कैदीयों को इन कार्यक्रमों में अत्यंत उदासीन पाया

3. 46 प्रतिशत महिला कैदीयों को निम्न स्तर से सहभागी पाया

4. 23 प्रतिशत स्तर को मध्यम स्तर में सहभागीता पाया

5. केवल 8 प्रतिशत स्तर उच्च स्तर की सहभागिता पाया। इन तथ्यों के संकलन में एस.आई.एस. सी. एफ.1997 के आकडों को आधार शोधकर्ता ने लिया है।

केस पी, फेनफेस्ट डी, सारी आर, फिलिप्स ए (2005) ने अपने शोध शीर्षक 'प्राब्हायडींग एज्युकेशनल सपोर्ट फॉर फिमेंल एक्स इन मेंटस् : प्रोजेक्ट प्रुव्ह अज मॉडेल फॉर सोशल रिइंटीग्रेशन' जर्नल फॉर करेक्शनल एज्युकेशन। प्रस्तुत शोध-पत्र में शोधकर्ताओं ने महिला कैदियों के कारावास के उपरांत उनके सामाजिक पुन:प्रत्ययन का अध्ययन किया। इनके शोध के उद्देश्यों में कैदी महिलाओं को जेल में प्राप्त जीवन कौशल तथा अन्य शिक्षा के लाभ से समाज में पुनर्स्थापित होने वाली कठिनाइयों का अध्ययन कर उन्हे सामाजिक व्यवस्था में सुस्थापित होकर अधिक शिक्षा के लिये प्रेरित करने के उपायों का अध्ययन करना यह प्रमुखता से था। इस अध्ययन में शोधकर्ताओ ने पारिवारिक संबंध, अभिभावको की समस्याए, रोजगार की समस्याएं तथा व्यक्तिगत समस्याएं जैसे बीमारी, आर्थिक अभाव ग्रस्तता, सामाजिक परिवेश के इन बिंदुओं को चिन्हित कर शोध अध्ययन किया है। निष्कर्षो में शोधकर्ता ने पाया कि

1. कारावास के उपरांत महिला कैदियों को समाज में पुन:स्थापित होने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसक प्रमुख कारण सामाजिक परिवेश में समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया |

2. व्यवसाय शुरू करने में पैसों की उपलब्धता बैंक या अन्य आर्थिक स्त्रोत सुलभता पूर्वक धन उपलब्ध नहीं कराती |

3. रहने के लिये अच्छे घरों की अनुपलब्धता पायी गयी |

4. व्यवसाय के परिचलन हेतु वाहनों की उपलब्धता में कठिनाई पायी गयी|

5. पुरुष कैदीयों की तुलना में महिला कैदियों को कारावास से मुक्तहोने के बाद सभ्य समाज में पुन:स्थापित होने के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है यह पाया गया।

6. महिलाओं को अपने परिवारो को पुन: एकत्रिकरण में अच्छा आवास प्रदान करने में तथा अच्छा रोजगार प्राप्त करने में कठिनाइयां पायी गयी हैं।

3.0 शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया:-

शोध अध्ययन में प्रयुक्त विकासात्मक प्रक्रिया हेतु प्रदत्त संग्रह", संगठन विश्लेषण में प्रयुक्त प्रविधियों और उपकरणों का वर्णन अपेक्षणीय है। प्रदत्त संकलन हेतु प्रयुक्त स्त्रोतों, संग्रहीत प्रदत्तों की प्रकृति उनकी वैधता एवं विश्वसनीयता, उपयुक्त विधियों का विवरण आदि शोध प्रतिवेदन के आवशयक अंग हैं। **"ट्रेवर्स"**

प्रस्तुत लघु शोध के प्रथम अध्याय में शोध की पृष्टभूमि, द्वितीय में शोध से संबन्धित साहित्य की समीक्षा की गयी है तथा तृतीय अध्याय में शोध के अभिकल्प का विवरण किया गया । अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम उसके लिए निश्चित योजना बनाएँ। अनुसंधान अभ्किल्प हमारे शोध को क्रियात्मक दिशा प्रदान करने में हमारी सहायता करता है।अनुसंधान अभिकल्प से प्रेक्षण कार्य प्रदत्त विश्लेषण को दिशा मिलती है।

शोध का अभिकल्प मूलतः वह संप्रत्यात्मक संरचना है जिसके तहत अनुसंधान की क्रिया सम्पन्न होती है इसमें एक ऐसी योजना का बोध होता है जिससे पूरा अध्याय में कुशलता एवं परिशुद्धता का समावेश करते हुए सर्वाधिक रूप में यथार्थपूर्ण सामान्यीकरण, वराण व्याख्या एवं भावी कथन किया जा सके।

करलिंगर ने अनुसंधान अभिकल्प के स्वरूप पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए लिखा है कि शोध अभिकल्प अनुसंधान करने के लिए बनी हुई एक ऐसी परियोजना और और संरचना है जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर प्रपट किया जाता है **"करलिंगर, (1986)|"**

3.1. शोध विधि:-

प्रस्तुत लघु शोध में वर्णात्मक विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति इसे वर्णनात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखती है। वर्णनात्मक अनुसंधान शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। इसके सर्वे, नारमेंटिक सर्वे, स्टेट्स और वर्णनात्मक अनुसंधान आदि अनेक नाम हैं। यह एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत अनेक विशिष्ट विधियाँ तथा प्रक्रियाएँ आती हैं। उद्देश्य की दृष्टि से सब लगभग समान होती है **माली, (1963)।**

वर्णनात्मक अनुसंधान "क्या है" का वर्णन तथा विश्लेषण करता है । परिस्थितियाँ या सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान में है तथा मत या विचार जो चल रहें है, प्रभाव जो स्पष्ट है अथवा नई दिशाएँ जो विकसित हो रही हैं, उन्हीं से इसका सम्बन्ध है **बेस्ट एवं कान, (2007)।**

3.2 जनसंख्या:-

जनसंख्या से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है सिंह), 2011)। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा जनसंख्या के रूप में महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के अमरावती जिला कारागृह की अपराधसिद्ध महिलाओं और उनके बच्चों को जनसंख्या के रूप में शामिल किया गया है।

3.3 न्यादर्श:-

समय एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा अध्ययन हेतु न्यायदर्श का चयन उद्देशपूर्ण प्रविधि से किया गया है। न्यादर्श के रूप में अमरावती जिला कारागृह की अपराधसिद्ध महिलाओं और इनके बच्चों को शामिल किया गया है। न्यादर्श चयन को हम नीचे दिए वितरण तालिका में देख सकते हैं।

तालिका : 3.1 चरों का वितरण न्यादर्श के रूप में)Distribution of the variables in the Sample)

क्षेत्र	**अमरावती जिला कारागृह, अमरावती**	
	अपराधसिद्ध महिलाएं	**बच्चे**
	21	6

3.4 प्रयुक्त उपकरण:-

प्रस्तुत अध्ययन में स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। कैदी महिलाओं का अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं महिलाओं के बच्चों की आकांक्षा एवं उपलब्धि हेतु स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया। किसी भी शोध की शुद्धता आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त किए गए

उपकरण पर ही निर्भर करती है क्योंकि अगर उपयुक्त उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया तो आंकड़ों का संग्रहण त्रुटि पूर्ण हो जाएगा और इससे प्राप्त परिणाम भी त्रुटि के साथ आएगा। इसलिए उपयुक्त उपकरण का चयन करना आवश्यक होता है। इस अध्ययन के अनुरूप मानकीकृत परीक्षण उपलब्ध न होने के कारण शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में परीक्षण का निर्माण किया गया।

कैदी महिलाओं का अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता के अध्ययन एवं महिलाओं के बच्चों की आकांक्षा एवं उपलब्धि से सम्बंधित प्रश्नावली का निर्माण करते समय शोधकर्ता द्वारा निम्न पदों का पालन किया गया।

योजना:-

किसी भी परीक्षण के निर्माण में योजना बनाना सबसे प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता। इस चरण में शोधकर्ता द्वारा परीक्षण का उद्देश्य बनाया गया। इस परीक्षण में अभिभावकीय आकांक्षा से सम्बंधित प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण किया गया। आंकड़ों के संग्रहण हेतु वस्तुनिष्ठ तथा खुली प्रश्नावली का उपयोग किया गया ,प्रश्नावली का भाषा माध्यम हिंदी रखा गया |

एकांश लेखन (प्रश्न):-

परीक्षण की योजना तैयार कर लेने के पश्चात शोधकर्ता द्वारा प्रश्नों को लिखना प्रारम्भ किया गया। एकांश से तात्पर्य एक ऐसा प्रश्न या पाठ लेखन से होता है जिसे प्रायः छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता **(बीन, 1953)**।

विशेषज्ञों की जाँच:-

प्रारंभ में शोधार्थी द्वारा 60 प्रश्नों का निर्माण किया गया | उसके बाद शोधार्थी ने सभी प्रश्नों को अपने शोध पर्यवेक्षक को दिखाया।इसके पश्चात् अपने विभाग के सभी आचार्यों की निर्देशन में 35 उत्तम प्रश्नों (वस्तुनिष्ठ)और 9 खुले प्रश्नों का चयन किया गया| इस प्रश्नावली में कैदी महिलाओं कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से सम्बंधित प्रश्न 14, अपराध कि जानकारी से सम्बंधित प्रश्न 4, महिला कैदी के बच्चों से संबंधित जानकारी से सम्बंधितप्रश्न 14,एवं कैदी महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक आकांक्षा,

अभिवृति एवं उपलब्धि से सम्बंधित 12 प्रश्नों का निर्माण किया गया। इन सब पदों के बाद के कैदी महिलाओं के बच्चों कि शैक्षिक स्थिति संबंधी जानकारी की प्रश्नावली बनाकर तैयार हुआ। शोधार्थी द्वारा बनायी गयी कैदी महिलाओं के बच्चों कि शैक्षिक स्थिति संबंधी जानकारी की प्रश्नावली में निम्ननिखित आयामों को सम्मिलित किया गया है –

कैदी महिलाओं के बच्चों कि शैक्षिक स्थिति संबंधी जानकारी की प्रश्नावली में आयाम

क्रम . सं	मद संख्या)Items No(	आयामों की पहचान)Dimension ofIdentifying (	मदों की संख्या)Noof Items(
1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति	14
2	15,16,17,18,	अपराध की जानकारी	4
3	19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,	कैदी महिलाओं के बच्चों से संबंधित जानकारी	14
4	33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44	बच्चों की शिक्षा से संबंधित जानकारी	12

आंकड़ो का संग्रहण एवं विश्लेषण:-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण प्रति दर्शन से चयनित अमरावती जिला कारागृह के कैदी महिलाओं एवं उनके बच्चों से आंकड़ों का संग्रहण किया गया॥ कैदी महिलाओं से आंकड़ों के संग्रहण के लिए शोधार्थी द्वारा अमरावती जिला कारागृह के अधीक्षक से अनुमति लेने गये परंतु उन्होने कहा हम आपकों अनुमति नहीं दे सकते है ये मेरे अधिकार में नहीं है आपकों नागपुर से डीआईजी से अनुमति

लेकर आना होगा। तभी हम आपकों महिलाओं से मिलने की अनुमति दे सकते है। उसके बाद शोधार्थी ने नागपुर जाकर डीआईजी से अनुमति लेकर आयी। उसके बाद फिर से अमरावती जिला कारागृह जाकर अधीक्षक को डीआईजी का अनुमति पत्र दिया। उसके बाद अमरावती जिला कारागृह के अधीक्षक ने कैदी महिलाओं से मिलने की अनुमति दी गयी। कारागृह के अधीक्षक की अनुमति लेकर कैदी महिलाओं से सौहार्द्र संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, इसके बाद कैदी महिलाओं को प्रश्नावली प्रदान किया गया इसके तत्पश्चात कैदी महिलाओं को निर्देश दिया गया कि इस परीक्षण में 44 प्रश्न है, जिसके उत्तर आप लोगो को हाँ और नहीं में देना है। यदि आप हाँ में देते हैं तो हाँ के सामने (√) का निशान लगाये यदि नहीं में देना चाहते है तो नहीं की सामने (√) का निशान लगाये । विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि हेतु उनके स्कोर कार्ड का प्रयोग किया गया। शोधार्थी को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक रिकॉर्ड से उनका स्कोर कार्ड दिया गया। शोधार्थी को विद्यालय से जो स्कोर कार्ड प्राप्त हुआ उसमें प्रत्येक विषय में अंक के स्थान पर ग्रेड दिया गया था। इस स्थिति में विद्यार्थियों का सम्पूर्ण प्रतिशत सभी विषयों का प्रतिशत अंक निकालने हेतु शोधार्थी अपने पर्यवेक्षक के निर्देशा नुसार प्रत्येक विषय के ग्रेड के अंक में परिवर्तित किया गया |

4.0 प्रदत्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या

4.0.1 कैदी महिलाओं की व्यक्तिगत स्थिति:-

शोधार्थी अमरावती जेल में सोशलवर्कर मित्र के साथ जेल में बंदी महिलाओं की समस्याओं को समझने तथा उनका दैनिक जीवन क्रम जानने की उत्सुकता हेतु गयी थी। जेल की महिला बैरक में जाकर हमने कुछ महिला बंदी को उनके साथ घटी घटना तथा उनके द्वारा हुए अपराध के संबंध में बात करने से पूर्व उनकी पारिवारिक रिश्तों के संबंध में जानकारी ली सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम शीतल बताया। वो तहसील वनी जिला यवतमाल की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 33 वर्ष है, उसका शिक्षण 10 वीं कक्षा तक हुआ और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में उसका पति और दो बच्चे हैं। पहला बेटा 15 साल का है और वो 10वीं कक्षा फेल है और अभी मजदूरी करता है। दूसरी बेटी 13 साल की है और 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उससे पूछने पर की बच्चें आप से मिलने आते हैं तो उसने बताया कि नहीं वो मुझसे मिलने नहीं आते। कारण पूछने पर क्यों तो उसने बताया की वे अपने चाचा के पास रहते हैं और वो उन्हें मिलने नहीं आने देते। उससे उसके बच्चों के शैक्षिक स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उससे पूछा कि उसके बच्चों का पिछले साल का परीक्षा फल कैसा रहा तो उसने बताया कि सुना है अच्छे मार्क से पास हुए हैं। उससे पूछा कि वो तुमसे मिलाने नहीं आते है, तो तुम्हें कैसे पता है तो उसने बताया कि उसकी माँ से पता चला है। उससे पूछने पर कि भविष्य में आप अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहती है तो उसने बताया कि वह अपने बच्चों को अच्छे पढ़ा-लिखे सरकारी अधिकारी के रूप में देखना चाहती है। फिर हमने उससे पूछा कि आप यहाँ किस अपराध में आयी है तो उसने बताया की वह खून के अपराध में आई है। किसके के खून में तो उसने कुछ हिचकिचाते हुए बताया की अपने पति के खून में। उससे पूछने पर की क्या कारण था? तो वो कुछ देर तो कुछ नहीं बोली परंतु मेरे बार-बार पूछने पर बड़ी मुश्किल से बताया कि उसका किसी और से प्रेम प्रकरण चल रहा और वह उसके साथ शादी करना चाहती थी और उसका पति उसे छोड़ नहीं रहा था और वो उन दोनों के बीच आ रहा था इसलिए उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने पति को मार डाला।

दूसरी महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम सुशीला बताया। वो तहसील तिवसा, जिला अमरावती की रहने वाली है (नाम और पता

काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 35 वर्ष है, उसका शिक्षण 7वीं कक्षा तक हुआ है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में उसका पति और दो बच्चे थे। पहला बेटा 15 साल का है और वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरा बेटा 14 साल का है और वो भी 9वी कक्षा में पढ़ता है। उससे पूछने पर कि बच्चें आप से मिलने आते हैं तो उसने बताया कि हाँ वो मुझसे मिलने महीने में एक बार आते है। वे निरीक्षण गृह में रहते है। उससे उसके बच्चों की शैक्षिक स्थिति के बारे में जानने हेतु पूछा कि उसके बच्चों का पिछले साल का परीक्षाफल कैसा रहा तो उसने बताया कि अच्छा रहा वे अच्छे मार्क से पास हुए हैं। मैंने पूछा क्या आप अपने बच्चों के परीक्षाफल से संतुष्ट हैं? उसने कहा हाँ। उससे पूछने पर कि भविष्य में आप अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहती है तो उसने बताया कि वह अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा-लिखे सरकारी अधिकारी के रूप में देखना चाहती है या फिर उन्हे जो बनना है। फिर हमने उससे पूछा की आप यहाँ किस अपराध में आयी हैं तो उसने बताया की वह खून के अपराध में आई है। किसके खून में तो उसने कुछ हिचकिचाते हुए बताया की अपने पति के खून में। उससे पूछने पर कि क्या कारण था? तो वो कुछ देर नहीं बोली बाद में बड़ी मुश्किल से बताया कि उसका किसी और से प्रेम प्रकरण चल रहा और वह उसके साथ शादी करना चाहती थी और उसका पति उसे छोड़ नहीं रहा था वो उन दोनों के बीच आ रहा था इसलिए उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके पति को मार डाला। इतना कहने के बाद वो वहाँ नहीं रुकी और वहाँ से उठकर चली गयी।

उसके बाद तीसरी महिला कैदी से मिलने गए सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम वर्षा बताया। वो तहसील पातुर जिला अकोला की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 35 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में वह और उसके तीन बच्चे है। उसका पति घटना के 7-8 साल पहले ही मर गया था। पहला बेटा 18 साल का है और वो 12वीं कक्षा तक पढ़ा है और खेत मजदूरी करता है , दूसरा बेटा 16 साल का है और 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है और तीसरी बेटी है और वो भी 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। उससे पूछने पर कि बच्चें आपसे मिलने आते हैं तो उसने बताया कि हाँ वो मुझसे मिलने महीने में एक बार आते है। वह तीनों भाई-बहन मिलकर अपने घर पर ही रहते हैं। उससे उसके बच्चों के शैक्षिक स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया की बड़ा बेटा12वीं कक्षा तक ही पढ सका अब उसने पढ़ाई छोड़ दी है और अब मजदूरी करके अपने छोटे भाई और बहन को पढ़ा रहा है। उससे पूछने पर कि भविष्य में आप अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहती है तो उसने बताया कि वह अपने बच्चों को अच्छा पढे-लिखे सरकारी

अधिकारी के रूप में देखना चाहती हूँ जो कि वह नहीं कर सकी। फिर हमने उससे पूछा कि आप यहाँ किस अपराध में आयी है तो उसने बताया कि वह खून के अपराध में आयी है। किसके के खून में तो उसने बताया कि अपने सौतेले देवर के खून में। उससे पूछने पर कि क्या कारण था? तो उसने बताया की एक दिन उसका देवर बहुत शराब पीकर आया और घर के दरवाजे में गिर गया और उसकी मौत हो गयी थी। उसने कुछ नहीं किया था परंतु उसके ससुराल वालों ने उसका नाम डाल दिया और उसे फंसा दिया।

उसके बाद चौथी महिला कैदी से मिलने गए सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम नीता बताया। वो तहसील कलंब, जिला यवतमाल की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 40 वर्ष है, उसका शिक्षण बी.ए तक हुआ है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में उसका पति और दो बच्चे हैं। पहला बेटा 14 साल का है और वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरी बेटी 18 साल की है और 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उससे पूछने पर की बच्चें आप से मिलने आते है तो उसने बताया कि हाँ महीने में एक बार मिलने आते हैं। उससे पूछने पर कि बच्चे कहाँ रहते है? तो उसने बताया कि वह निरीक्षण गृह में रहते हैं। उससे उसके बच्चों के शैक्षिक स्थिति के बारे में जानने के लिए उसने बताया कि अच्छे मार्क से पास हुए हैं। उससे पूछने पर की भविष्य में आप अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहती है तो उसने बताया कि वह अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा-लिखा सरकारी अधिकारी देखना चाहती है। फिर हमने उससे पूछा कि आप यहाँ किस अपराध में आयी हैं? तो उसने बताया की वह खून के अपराध में आयी है। किसके के खून के अपराध में? तो उसने बताया कि उसके भाभी के खून में परंतु मैंने कुछ नहीं किया था जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त मैं अपने मायके में आयी हुई थी। मेंरी भाभी ने आत्महत्या की थी क्योंकि उसका शादी से पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति से अफेयर चल रहा था और उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती मेंरे भाई के साथ कर दी थी। शादी के बाद दो-तीन बार वह उस लड़के के पास भाग गई थी। घटना के दो दिन पहले फिर से वह घर से भागी थी और फिर वापस आकार उसने आत्महत्या की और उसके घरवालो ने उस आत्महत्या को दहेज हत्या का नाम देकर घर के सभी लोगो को फसा दिया उस वक्त मैं भी वह होने के कारण मुझे भी इन लोगों ने फसा दिया मेंरी या मेंरे घर वालों की कोई भी गलती नहीं होते हुए भी आज हम सभी लोग 8 साल से जेल में है।

उसके बाद पाँचवीं महिला कैदी से मिलने गए सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम इंदिरा बताया। वो तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 48 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में

उसका पति और पाँच बच्चे हैं। पहली दो बेटियाँ है जिनका नाम कांता और निर्मला है जिनका शिक्षण 7वीं कक्षा तक हुआ है और अब वे शादी शुदा हैं ,तीसरा बेटा 20 साल का है और वो बी.ए द्वितीय वर्ष में पढ़ता है , चौथा बेटा 17 साल का है और 11वीं कक्षा में पढ़ता है और पाँचवी बेटी 17 साल की है और 11वीं कक्षा में पढ़ती है परंतु वह अंधी है। उससे पूछने पर कि बच्चें आप से मिलने आते हैं? उसने बताया कि हाँ महीने में एक बार आते है। उससे उसके बच्चों के शैक्षिक स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उससे पूछा कि उसके बच्चों का पिछले साल का परीक्षाफल कैसा रहा? तो उसने बताया कि अच्छे मार्क से पास हुए हैं। उससे पूछने पर कि भविष्य में आप अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहती हैं तो उसने बताया कि वह अपने बच्चों को अच्छा पढे-लिखे सरकारी अधिकारी देखना चाहती हैं। फिर हमने उससे पूछा कि आप यहाँ किस अपराध में आयी है तो उसने बताया कि वह खून के अपराध में आयी है। किसके खून में तो उसने बताया कि पड़ोसी के खून के आरोप में , उसका कहना था कि उसने और उसके पति ने उस पड़ोसी का खून नहीं किया था परंतु जबरदस्ती पुराने झगड़े के कारण उनका नाम फंसा दिया गया था। जो मर गया था उसकी खेती और इन लोगों कि खेती आजू-बाजू में थी और उन लोगो के जानवर इनके खेत में घुस जाने पर ये लोग उन्हे मरते थे। इसी वजह से इन लोगो में हमेंशा लडाई होती रहती थी। यही रंजिश निकालने के लिए उन लोगों ने इन लोगो का नाम लगा दिया ऐसा उसका कहना था।

उसके बाद छठवी महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। वो तहसील घाटजी, जिला यवतमाल की रहने वाली है। (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 40 वर्ष है और उसका शिक्षण 5वीं कक्षा तक हुआ है। उसके दो बच्चें हैं एक बेटा जिसकी उम्र 19 साल है और चौथी कक्षा तक पढ़ा है और दुसरी बेटी है 14 साल की जो 9 वीं कक्षा तक पढ़ी है और अब वह अमरावती के निरीक्षण गृह में है। उससे पूछने पर कि बेटी को पिता के पास क्यों नहीं रखती हो तो उसने बताया कि उसका पति बहुत शराब पीता है और नशे में वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरी बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं है। उससे पूछने पर कि उसकी बेटी उससे मिलने आती है तो उसने कहा की अभी तक तो नहीं आयी है। क्योंकि मुझे जेल में आए 5-6 महीने ही हुए है सिर्फ मेरे पिताजी ही मुझसे मिलने आते है। उससे पूछने पर कि आप की बेटी कहाँ रहती है? तो उसने बताया कि वह अभी निरीक्षण गृह में है। उससे उसके बच्चों के शैक्षिक स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उससे पूछा कि उसके बच्चों का पिछले साल का परीक्षाफल कैसा रहा? तो उसने बताया की आजकल स्कूल वाले

9 वीं तक पास कर देते है वह 9 वीं तक पहूँच गयी है वैसे उसे ज्यादा कुछ आता नहीं है। उससे पूछने पर कि भविष्य में आप अपने बेटी को किस रूप में देखना चाहती है? तो उसने बताया कि वह अपने बेटी को अच्छा पढ़ाना चाहती है परंतु उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है फिर हमने उससे पूछा की आप यहाँ किस अपराध में आयी हैं? तो उसने बताया कि वह खून के अपराध में आयी है। किसके खून में तो उसने बताया कि हमारे गाँव में एक नरबली की घटना हुई थी उस वक़्त में भी अपने मायके में आयी हुई थी तो उन्होने मेंरा नाम भी फंसा गया है। जिस लड़की का खून हुआ था वह लड़की उसके ममेंरे बहन की बेटी थी। मैंने कुछ नहीं किया है परंतु मुझे फंसा दिया गया है मेंरे साथ और 4-5 लोग और है जो इस केस के कारण जेल में है।

उसके बाद सातवीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम प्रमिला बताया। वे तहसील तिवासा, जिला अमरावती की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 28 वर्ष है, उसका शिक्षण 10 वीं तक हुआ है और उसका परिवार संयुक्त परिवार है उसके परिवार में सास ,देवर और उसके पति सब लोग साथ में रहते थे। उसकी अभी 4 साल की बेटी जो उसके साथ जेल में ही है। उससे पूछने पर कि भविष्य में आप अपने बच्ची को किस रूप में देखना चाहती है? तो उसने बताया कि वह अपने बच्ची को अच्छा पढ़ा-लिखा कर सरकारी अधिकारी देखना चाहती है। फिर शोधार्थी ने उससे पूछा कि आप यहाँ किस अपराध में आयी है? तो उसने बताया की वह खून के अपराध में आयी है। किसके के खून के अपराध में? तो उसने बताया कि देवर के खून के इल्जाम में, उसके पति और देवर का संपत्ति की बात पर झगड़ा हो गया था और इस झगड़े का रूपांत्तरण हाथापाई में हुआ और उस हाथापाई में उसकी जान चली गयी और हम दोनों पति-पत्नी को सजा हो गई। मेरा इस खून से कोई भी संबंध नहीं था परंतु मेंरे ससुराल वालों ने मेरा भी नाम रिपोर्ट में डालकर कर मुझे फसा दिया और मेरी कोई भी गलती न होते हुए भी मुझे मुफ्त की सजा हो गयी है साथ में मेंरे बेटी का भी जीवन यहाँ पर खराब हो रहा है।

उसके बाद आठवीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम विना बताया। वो तहसील चिखली, जिला बुलढाणा की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 52 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में उसका पति और चार बच्चें हैं। पहला बेटा 28 साल का है और वो 9 वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। और अब वह खेत मजदूरी करता है। दूसरी बेटी 25 साल की है और 9 वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई है और

उसकी शादी हो चुकी है। तीसरी बेटी 23 साल की है और 9 वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई है और उसकी शादी हो चुकी है। और चौथी बेटी 21 साल की है और 9 वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई है और उसकी शादी अभी नहीं हुई है। बड़ा बेटा और सबसे छोटी बेटी दोनों अपने मामा के पास रहते हैं। उससे पूछने पर कि बच्चें आप से मिलने आते हैं तो उसने बताया कि हाँ बड़ा बेटा और सबसे छोटी बेटी दोनों महीने में एक बार मिलने आते है। उससे पूछने पर कि आपके बच्चे 9 वीं कक्षा के बाद क्यों नहीं पढ़े तो उन्होने बताया कि वे 10वीं कक्षा में गए पर पास नहीं हो सके और दोबारा पैसे भरकर पढ़ाने कि हमारी हालत नहीं है। हम खेत मजदूरी करने वाले लोग है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उससे पूछने पर उसने बताया कि उसके घर के सभी लोग गाँव गए थे और घर की चाबी पड़ोसी के घर में रख दी थी परंतु वह जब घर आए तो उन्हे पता चला की उनके घर मेंय पड़ोसी की लाश मिली है और दोषारोपण कर उन्हे फंसाया गया है। मेरा कोई दोष नहीं होने पर भी मुझे और मेरे पति को जबरन फंसाया गया है।

उसके बाद नौवीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम ममता बताया। वो तहसील नांदगाँव, जिला अमरावती की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 52 वर्ष है, वह 10 वीं कक्षा तक पढ़ी है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में उसका पति और दो बच्चें हैं। पहला बेटा 23 साल का है और उसकी 9 वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई है और दूसरी बेटी 21 साल की है और वे बी.ए प्रथम वर्ष में पढ़ रही है। बेटा और बेटी दोनों अपने पिता के पास रहते है। उसके पति सूरत में प्राइवेट जॉब करते है उसका बेटा भी कपड़े की फ़ैक्ट्री में काम करता है और बेटी घर में ही रहती है। उससे पूछने पर कि तुम किस अपराध में यहाँ पर आयी हो तो उसने बताया कि उसके भाभी के हत्या के अपराध में वे यहाँ आई है। उसका कहना था की उसकी भाभी ने आत्महत्या की थी परंतु भाभी के माइके वालों ने उसके माता-पिता के साथ उसे भी इस केस में फंसा दिया है उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद वह आज 11 साल से कारागृह में है । उससे पूछने पर की तुमसे घर से कोई मिलने आता है? उसने कहा उससे मिलने यहाँ पर घर से उसके पति साल में एक बार आते हैं । उससे पूछने पर की शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है तो उसने कहा की हाँ बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अगर आज हम शिक्षित होते तो हमें ऐसा कोई फसता नहीं और हम यहाँ पर होते नहीं। उससे पूछने पर की भविष्य में आप अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहती है? तो उसने कहा की मैं तो अपने बच्चों को खूप पढ़ना चाहती थी परंतु मैं कारागृह में होने के कारण उन पर इस बात का बहुत

बुरा असर हुआ और दोनों बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं पाये इस बात का मुझे बहुत दुख है क्योंकि मेरी वजह से मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया जबकी मैंने कोई अपराध नहीं किया है।

उसके बाद दसवीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम शांताबाई बताया॥ वो तहसील कालंब, जिला यवतमाल की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 65 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में उसका पति और तीन बच्चे हैं। पहला बेटी 50 साल की है और वो 10 वीं कक्षा तक पढ़ी। दूसरी बेटी 47 साल की है और वो एम .ए तक पढ़ी है। तीसरा बेटा 12 वीं तक पढ़ा है। उसके घर पाँच बीघा खेती है और उसके पति खेती का ही काम करते हैं। उससे पूछने पर की तुम किस अपराध में यहाँ पर आई हो तो उसने बताया की उसके बहू के हत्या के अपराध में यहाँ है। उसका कहना था की उसके बहू ने आत्महत्या की थी परंतु बहू के मायके वालों ने हमें फसा दिया है। हमारी बहू का शादी से पहले कही किसी से चक्कर चल रहा था उसके घर वालों ने उसकी शादी मेरे बेटे से जबरदस्ती करा दी थी। शादी के बाद वो घर से दो तीन बार भाग गई थी और फिर खुद ही वापस आ जाती थी। वैसे ही इस बार भी वह घर से गई और दो दिन बाद वापस आकार उसने आत्महत्या कर ली। शादी को छह महीने भी नहीं हुए थे इस लिए उसके घरवालों ने हम पर दहेज का आरोप लगाकर फंसा दिया। उससे पूछने पर कि घर से कोई मिलने आता है? तो उसने कहा की मै ,मेरे पति और मेरी बड़ी बेटी यही जेल में है और बेटा बहू के मर जाने के बाद पागल सा हो गया। वो इधर उधर भटकता है। उससे पूछने पर कि शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? तो उसने कहा कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है इसलिए हमने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया है।

उसके बाद 11 वीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम दमयन्तीबाई बताया। वो खंडाला की रहने वाली है (नाम और पता काल्पनिक है)। उसकी उम्र 60 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसके परिवार में वह और उसके दो बेटे है और पति मर चुका है। पहले बेटे की उम्र 45 साल है और वो अशिक्षित है। दूसरे बेटे की उम्र 43 है और वह भी अशिक्षित है। दोनों बेटे किसी कारखाने में मजदूरी करते हैं। शोधार्थी ने उससे पूछा कि आपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? तो उसने बताया की बच्चे स्कूल जाते नहीं थे और स्कूल के नाम से ही डरते थे और रोते थे। फिर शोधार्थी ने उससे पूछा की आप यहाँ किस अपराध में आयी है? तो उसने बताया की वह खून के अपराध में आयी है। किसके खून के अपराध में? तो उसने बताया बहू को जलाने के इल्जाम में

उसने कहा की मैंने कुछ नहीं किया बेटे और बहू का झगड़ा हुआ था और उसने गुस्से में आकर खुद पर केरोसिन डाल कर खुद को ही जला लिया। शोधार्थी ने उससे पूछा कि फिर आप यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि बेटे को बचाने के लिए इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि यह इल्जाम अगर मैं अपने ऊपर नहीं लेती तो मेंरा बेटा फंस जाता। उसका घर उजड़ जाता उसके बच्चे बेघर हो जाते मेंरा क्या है मै आज हूँ कल नहीं मैंने अपनी जिंदगी जी ली है पर उसे उसके बच्चों को बड़ा करना है और उनका भविष्य बनाना है।

उसके बाद 12 वीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम कमल बताया। वो तहसील मानोरा, जिला यवतमाल की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 50 वर्ष है, उसका शिक्षण 7 वीं कक्षा तक हुआ है और उसका परिवार संयुक्त है। उसके तीन बच्चे हैं | बड़ा बेटा जिसकी उम्र 27 साल है और 12 वीं कक्षा तक पढ़ा है। घर की खेती संभालता है। दूसरा बेटा 24 साल का है बी.ए हो चुका है और अब वह स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा है और तीसरी बेटी 20 साल की है ,उसका शिक्षण 9 वीं कक्षा तक है। अब घर में ही रहती है। उससे पूछने पर कि उसके बच्चे उससे मिलने आते है? तो उसने कहा की महीने में एक बार आते है। क्योंकि मुझे जेल में आए 5-6 महीने ही हुए है| सिर्फ मेरे पिताजी ही मुझसे मिलने आते है। उससे पूछने पर कि आप के बच्चे कहाँ रहते हैं | तो उसने बताया की वो लोग अपने ही घर में अपने चाचा के साथ रहते हैं । उससे उसके बच्चों के शैक्षिक स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उससे पूछा की उसके बच्चों का पिछले साल का परीक्षाफल कैसा रहा? तो उसने बताया की बड़े बेटे ने पढ़ना छोड़ दिया है ,दूसरे बेटे ने बी.ए अच्छे नंबर पास किया है और छोटी बेटी ने भी 10वी फेल होने बाद पढ़ना छोड़ दिया है। उससे पूछने पर की तुम किस अपराध में यहाँ आई हो? तो उसने बताया की देवरानी को जलाने के इल्जाम में, उसने बताया की उसके देवर और देवरानी में किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में अपने आपकों जला लिया और इल्जाम हम दोनों पति और पत्नी पर लगा दिया और बे मतलब हमें फंसा दिया। हमने कुछ भी नहीं किया है और हमें बिना कुछ किए सजा भुगतनी पड़ रही है।

उसके बाद 13वीं महिला कैदी से मिलने गए सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम गुलाबो बी बताया। वो तहसील, जिला वाशिम की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 65 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका एकल परिवार है। उसके पाँच बच्चे है, बड़ा बेटा जिसकी उम्र 35 साल है वो 5वी कक्षा तक पढ़ा है और वो मिस्त्री का काम करता है। दूसरी

और तीसरी दोनों जुड़वा बेटियाँ है उनका नाम अकीला और शकीला है वो उन की उम्र 33 साल की है और वे दोनों उर्दू की दूसरी कक्षा तक पढ़ी हैं और तीसरा बेटा 30 साल का है, उसका शिक्षण 8वीं कक्षा तक हुआ है और वो मिस्त्री का काम करता है और पाँचवा बेटा 28 साल का है ,उसका शिक्षण 8वीं कक्षा तक हुआ है और वो भी मिस्त्री का काम करता है। उससे पूछने पर कि आपके बेटे आप से मिलने आते हैं? तो उसने कहा कि हाँ महीने में एक बार मिलने आते है। उससे पूछने पर की आप किस अपराध में यहाँ आयी हैं? तो उसने बताया की ननद कि जलाने के इल्जाम में, उसने बताया कि उसकी ननद की शादी हो गई थी और वो नर्स थी। उसका शादी से बाहर भी दूसरे लड़के से संबंध थे तो हमने उसे समझाया कि तुम्हारी अब शादी हो गयी है अब ऐसे काम मत करो | इस बात का उसे ग़ुस्सा आया और उसने अपने आप को जला लिया और बयान में मुझे फंसा दिया॥ हमने कुछ भी नहीं किया है और हमें बिना कुछ किए सजा भुगतनी पड़ रही है।

उसके बाद 14वीं महिला कैदी से मिलने गए सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम चंपाबाई बताया॥ वो तहसील मोर्शी, जिला अमरावती की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 75 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका एकल परिवार है। उसके चार बच्चे हैं। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 57 साल है और 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और उसकी साइकिल की दुक्कान है, दूसरी बेटी 55 साल की है वो अशिक्षित है और उसकी शादी हो चुकी है , तीसरा बेटा 53 साल का है ,उसका शिक्षण 11वीं कक्षा तक हुआ है और वो खेती का काम करता है और चौथी बेटी 51 साल की है ,उसका शिक्षण 9वीं कक्षा तक हुआ है और उसकी शादी हो चुकी है। उससे पूछने पर कि आपके बेटे आप से मिलने आते है तो उसने कहा की हाँ महीने में एक बार मिलने आते है। उससे पूछने पर कि आप किस अपराध में यहाँ आयी हैं? तो उसने बताया कि बहू को जलाने के इल्जाम में। उसने बताया कि उसकी बहू और बेटे में किसी बात से झगड़ा हुआ और उसने अपने आप को जला लिया॥ शोधार्थी ने उससे पूछा कि फिर आप यहाँ कैसे? तो उसने बताया की बेटे को बचाने के लिए इल्जाम मैंने अपनें ऊपर ले लिया है कि क्योंकि अगर यह इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं लेती तो मेंरा बेटा फंस जाता और उसका घर उजड़ जाता उसके बच्चे बेघर हो जाते मेंरा क्या है मैं आज हूँ कल नहीं, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है पर उसे उसके बच्चों को बड़ा करना है और उनका भविष्य बनाना है।

उसके बाद 15वीं महिला कैदी से मिलने गए सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम प्रियंका बताया॥ वो मुंबई की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र

52 वर्ष है, वह बी.कॉम तक पढ़ी है और उसका परिवार एकल है। उसके परिवार में उसका पति और दो बेटियाँ हैं । पहली बेटी 24 साल की है और वो बी.एस.सी. तक पढ़ी है और एयर इंडिया में नौकरी करती है दूसरी बेटी 22 साल की है और वो बी.एस.सी. तक पढ़ी हुई है और टीचर की नौकरी करती है और साथ में एम.बी.ए की पढ़ाई भी करती है। दोनों बेटियाँ अपने पिता के पास रहती हैं। उसके पति मुंबई में प्राइवेट जॉब करते हैं। उससे पूछने पर कि आप किस अपराध में यहाँ पर आयी हैं? तो उसने बताया की चेक बाउंस के अपराध में। उसका कहना था कि उसने अपनी बहन को प्लॉट लेने के लिए अपना चेक दिया था। प्लॉट मालिक ने हमें कुछ बताए बिना चेक बैंक में डाल दिया और चेक बाउंस हो गया॥ हमने उससे कहा की थोड़ी मोहलत दीजिये हम आपके पैसे दे देंगे परंतु वो हमसे ज्यादा पैसे मांगने लगा, जो हम नहीं दे सकते थे। उससे पूछने पर कि घर से कोई मिलने आता है उसने कहा उससे मिलने यहाँ पर घर से उसके पति महीने में एक बार आते हैं। उससे पूछने पर की शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है तो उसने कहा कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है॥ परंतु मैं जेल में आने के कारण उन पर इस बात का बहुत बुरा असर हुआ और मेरी बड़ी बेटी की शादी टूट गयी इस बात का मुझे बहुत दुख है क्योंकि मेंरी वजह से मेंरे बेटी की शादी टूट गयी॥

उसके बाद 16वीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम बबिता बताया, वो रेवदनदार की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 60 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका एकल परिवार है। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 40 साल है और वो अशिक्षित है और वह मजदूरी करता। दूसरी बेटी 35 साल की है और वो भी अशिक्षित है और उसकी शादी हो चुकी है॥ उससे पूछने पर कि आपके बच्चे आप से मिलने आते हैं? तो उसने कहा कि हाँ महीने में एक बार मिलने आते हैं। उससे पूछने पर कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? तो उसने बताया कि उसके गाँव में उस वक़्त पाठशाला नहीं थी और वो अपने बच्चों को दूसरे गाँव भेज कर पढ़ा नहीं सकती थी और इतना पैसा हमारे पास नहीं था। उससे पूछने पर कि आप किस अपराध में यहाँ आयी हैं तो उसने बताया कि पति के खून के इल्जाम में। उसने बताया कि आपसी दुश्मनी में उसके पति का खून हो गया गरीब और अशिक्षित होने की वजह से उन्हे फंसा दिया गया था। बस इतना ही उसने बताया।

उसके बाद 17वीं महिला कैदी से मिलने गए सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम माया बताया। वो तहसील चिखली, जिला बुलढाणा की रहने वाली है (नाम और पत्ता

काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 55 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका परिवार नहीं है। वह शादीशुदा हैं परंतु उसको कोई बच्चा नहीं हैं इसलिए वह अपने भाई के घर पर ही रहती थी। उससे पूछने पर कि आप किस अपराध में यहाँ आयी हैं? तो उसने बताया कि भाई के बहू के खून के इल्जाम में। उसने बताया कि उसके भाई की बहू ने कुए में कूद कर जान दी थी और इलज़ाम उस पर लगा दिया था कि उसने ही उसे धक्का दिया। उसने बताया कि उसने कब जान दी मुझे पता भी नहीं जब उसकी लाश कुए में मिली तब मुझे पता चला परंतु इल्जाम मुझ पर ही लगाया गया और मुझे सजा हो गयीमैंने अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चे की तरह पाला उसका यह सिला मुझे मिला ऐसा कह रही थी।

उसके बाद 18वीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम शीला बताया। वो तहसील दरयापुर, जिला अमरावती की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 53 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका एकल परिवार है। उसके चार बच्चे हैं बडी बेटी जिसकी उम्र 34 साल है और चौथी कक्षा तक पढ़ी है और उसकी शादी हो गई है। दूसरा बेटा 32 साल का है वो 10वीं फेल है और वो मजदूरी करता है। तीसरा बेटा 26 साल का है वो 10वीं फेल है और वो खेती का काम करता है और चौथी बेटी 24 साल की है ,उसका शिक्षण 9वीं कक्षा तक हुआ है, उसकी शादी हो चुकी है। उससे पूछने पर कि आपके बेटे आप से मिलने आते हैं तो उसने कहा कि हाँ महीने में एक बार मिलने आते है। उससे पूछने पर कि आप किस अपराध में यहाँ आयी हैं तो उसने बताया कि सास को जलाने के इल्जाम में। उसने बताया कि उसकी सास अपने बेटी के यहाँ गयी थी उधर से लौट कर आते समय वह बहुत शराब पीकर आयी और घर में मेंहमान आए हुए थे तो उसे शराब पीने की लिए माना किया गया जब वो शराब पीकर आयी तो बच्चों ने उसे डाटा और फिर प्यार से सहझाया भी लेकिन उसे ग़ुस्सा आया तो उसने अपने आप पर केरोसिन डालकर खुद को जला लिया| हम लोगो ने उसे बचाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु वो नहीं बच सकी और मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया और मुझे उम्रकैद हो गई।

उसके बाद 19वीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम पार्वती बताया। वो तहसील परतवाड़ा, जिला अमरावती की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 45 वर्ष है, वह अशिक्षित है और उसका एकल परिवार है। उसके दो बच्चे हैं। बडी बेटी जिसकी उम्र 23 साल की है, 5वीं कक्षा तक पढ़ी है और उसकी शादी हो गई है। दूसरी बेटी 19 साल की है ,उसका शिक्षण 9वीं कक्षा तक हुआ है और उसकी शादी हो चुकी है। उससे

पूछने पर की आपके बेटियाँ आप से मिलने आती हैं? तो उसने कहा कि कोई नहीं आता है। उससे पूछने कि आप किस अपराध में यहाँ आयी हैं? तो उसने बताया की सास को जलाने के इल्जाम में उसकी सास का उसके साथ किसी बात से झगड़ा हुआ था। उसकी सास को ग़ुस्सा आया तो उसने अपने आप पर केरोसिन डालकर खुद को जला लिया हम लोगों ने उसे बचाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु वो नहीं बच सकी और मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया और मुझे उम्र कैद हो गई।

उसके बाद 20वीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम अनीता बताया। वो तहसील तेल्हारा, जिला अकोला की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 67 वर्ष है, वह 7वीं कक्षा तक पढ़ी है और उसका एकल परिवार है। उसके तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 47 साल है और 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और वो खेत में काम करता है। दूसरा बेटा 43 साल का है वो10वीं कक्षा तक पढ़ा है और वो भी खेत में काम करता है और तीसरी बेटी 45 साल की है ,उसका शिक्षण 9वीं कक्षा तक हुआ है, उसकी शादी हो चुकी है। उससे पूछने पर कि आपके बेटे आप से मिलने आते है? तो उसने कहा कि हाँ महीने में एक बार मिलने आते हैं। उससे पूछने पर कि आप किस अपराध में यहाँ आयी हैं? तो उसने बताया कि बहू को जलाने के इल्जाम में उसने बताया कि उसकी बहू और बेटे में किसी बात से झगड़ा हुआ और उसने अपने आप को जला लिया।। शोधार्थी ने उससे पूछा कि फिर आप यहाँ कैसे तो उसने बताया की बेटे को बचाने के लिए इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि अगर यह इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं लेती तो मेंरा बेटा फंस जाता और उसका घर उजड़ जाता उसके बच्चे बेघर हो जाते मेरा क्या है? मै आज हूँ कल नहीं। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है पर उसे उसके बच्चों को बड़ा करना है और उनका भविष्य बनाना है।

उसके बाद 21वीं महिला कैदी से मिलने गए। सबसे पहले शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा उसने अपना नाम शीला बताया। वो मुंबई की रहने वाली है (नाम और पत्ता काल्पनिक हैं)। उसकी उम्र 56 वर्ष है, वह चौथी कक्षा तक पढ़ी है और उसका एकल परिवार है। उसके चार बच्चे हैं, बडी बेटी जिसकी उम्र 30 साल है और दूसरी कक्षा तक पढ़ी है और उसकी शादी हो गयी है। दूसरी बेटी 23 साल की है वो 5वीं कक्षा तक पढ़ी है और उसकी शादी हो गयी है। तीसरी बेटी 22 साल की है और उसका शिक्षण 6वीं कक्षा तक पढ़ी है और उसकी शादी हो गयी है। चौथी बेटी 19 साल की है, उसका शिक्षण 5वीं कक्षा तक हुआ है और उसकी भी शादी हो चुकी है। उससे पूछने पर कि आपके घर से आप से मिलने कोई आता है? तो उसने कहा कि हाँ साल में एक बार पति मिलने आते है। उससे पूछने पर कि

आप किस अपराध में यहाँ आयी है? तो उसने बताया कि भतीजी के रेप केस में आयी है। ये कैसे हुआ तो उसने बताया की उसकी भतीजी ने ही उस पर रेप का मामला दर्ज किया है बाद में उसने बताया कि उसकी भतीजी किसी लड़के के साथ भाग गयी थी तो उसके भाई ने कहा कि जाकर तुम पुलिस स्टेशन में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराओ। उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी उसके कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे तलाश करके उसके घरवालों को सौंप दिया तो उसके भाई ने उसे कहा कि तुम इसको अपने घर ले जाओ और अपने पास रखो। मैंने अपने भाई को मना कर दिया परंतु उसने बहुत जोर देने पर उसे घर ले आयी और अपने घर पर रख लिया। मेरा एक मुह बोला भाई है उसे कोई लड़की नहीं है इसलिए वो मेरे बेटियों का बहुत लाड़-प्यार करता है। उन्हें वो नए कपड़े लेकर देता है उसी ने मेरे भाई की लड़की मेरे घर आयी तो उसने उसे भी नए कपड़े लेकर दिये और एक हजार रुपये दिये। उस लड़की ने पोलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी की मेरे बुआ ने मुझे एक हजार रुपये देकर बेच दिया है इस तरह से मुझ पर यह रेप केस लगाया गया है। उसका मेंडिकल होने पर रिपोर्ट में 8 लोगों का नाम निकला। मेरे साथ और चार लोगों को भी गिरफ्तार किया था परंतु बाकी सब लोग छूट गए और सिर्फ मुझे अकेली को सजा हो गयी है।

कैदी महिलाओं के बच्चों की व्यक्तिगत स्थिति:-

शोधार्थी ने कैदी महिलाओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद को उनके बच्चों कि भी जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने सोशलवर्कर मित्र के साथ उनके बच्चों से मिलने गयी। सबसे पहले हम एक महिला कैदी की बेटी से मिलने गये। वो लड़की बालशिक्षण केंद्र लड़कियों के छात्रावास में रहती है। शोधार्थी अपने मित्र के साथ उस लड़की से मिलने बालशिक्षण केंद्र लड़कियों के छात्रावास होली क्रॉस कम्प अमरावती गये। यहाँ पर मिताली से हमारी मुलाकात हुई (नाम और पता काल्पनिक हैं)| उस दिन उसके स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, इसलिए वो भी किसी कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही थी? हमने वहाँ पर खड़ी एक लड़की को उसने बुलाने के लिए कहाँ | थोड़ी देर बाद वो लड़की के साथ नीचे आयी और हमें देखकर उसने हम लोगों को नमस्ते किया। मेरे साथ जो मित्र थी उसके गले लगी क्योंकि वह उसे जानती थी उसी ने उसका दाखिला वहाँ करवाया था, वो ही उसकी अभिभावक भी थी। उसके बाद शोधार्थी के मित्र ने उससे शोधार्थी की पहचान उस लड़की से करा दी। उस मित्र ने उससे कहा

कि ये दीदी तुमसे मिलने आयी है और तुम्हें एक फॉर्म देगी उसे तुम्हें भरकर देना है उसके बाद शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मिताली बताया॥ उसे कार्यक्रम में जाना था इसलिए उसने कहा कि दीदी मैं आप लोगों से ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी इसलिए मुझे जल्दी से फॉर्म दीजिये वो मैं जल्दी से भर देती हूँ। शोधार्थी ने उसे फॉर्म दिया और उसने उसे पढ़कर भर दिया और वह चली गयी। उसका नाम मिताली है (नाम और पता काल्पनिक हैं)। वो दसवीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी उम्र 16 वर्ष है और उसके माता-पिता दोनों ही कारागृह में है। वो अपने माता-पिता से मिलने महीने में एक बार जाती है। वो नियमित स्कूल जाती है और उसके स्कूल का नाम इंदिराबाई मेंघे महिला महाविधालय है। वो अपनी कक्षा में दूसरे बेंच पर बैठती है। उसे दाधना अच्छा लगता है और उसे अर्थशास्त्र यह विषय अच्छा लगता है। वह रोज स्कूल के बाद तीन घंटा स्वयं पढ़ाई करती है उसे पढ़ाई के दौरान समस्या महसूस होती है परंतु वह ट्यूशन नहीं लगा सकती वो अपने स्कूल के वातावरण से खुश है। उसके अध्यापक का व्यवहार उसके अच्छा है और उसके वर्ग अध्यापक का नाम चौधरी है। उसके दो दोस्त है और उनका व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा है साथ ही साथ दोस्तों के घरवालों का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा है। उसका एक छोटा भाई है और वो भी 9 वीं कक्षा में पढ़ता है भविष्य में प्राध्यापक बनना उसका उद्देश्य है,उसका पिछले साल का परीक्षाफल अच्छा रहा है, उसे A ग्रेड मिला है।

उसके बाद एक और महिला कैदी के बेटे को मिलने के लिए गये। वो लड़का बालनिरीक्षण गृह के छात्रावास में रहता है। शोधार्थी और उसकी मित्र दोपहर के वक़्त में उस लड़के से मिलने बालनिरीक्षण गृह के छात्रावास अमरावती गये परंतु दोपहर हो जाने की वजह से हम लोग कि मुलाक़ात उससे नहीं हो पायी। उसके बाद हमने उस छात्रावास के अधिक्षक से उसके स्कूल का पत्ता लेकर उससे मिलने स्कूल गये। स्कूल जाकर सबसे पहले हम लोग उस स्कूल के मुख्याध्यापक से मिले और उस लड़के से मिलने की इजाजत ली। फिर मुख्याध्यापक ने ही चपरासी को बुलाकर उस लड़के को साथ लेकर आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद चपरासी के साथ वो लड़का जहाँ हम लोग बैठे वहाँ आया और हमें देखकर उसने हम लोगों को नमस्ते किया मेरे साथ जो मित्र थी उसके पैर छूए क्योंकि वह उसे जानती थी उसी ने उसका दाखिला वहाँ करवाया था और वो ही उसकी अभिभावक भी थी। उसके बाद शोधार्थी के मित्र ने उससे शोधार्थी कि पहचान उस लड़के से करा दी। उस मित्र ने उससे कहा कि ये दीदी तुमसे मिलने आयी है और तुम्हें एक फॉर्म देगी उसे तुम्हेंभरकर देना है और जो तुमसे पूछेगी उसका जवाब देना। उसके बाद शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तनय बताया॥ शोधार्थी ने उसे फॉर्म दिया और उसने उसे

पढ़कर भर दिया और उसके बाद हमने उससे बाते कि उससे पूछा कि तुम्हें स्कूल में क्या अच्छा लगता है तो उसने कहा की स्कूल में सब कुछ अच्छा लगता है जैसे पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना इत्यादि। उसका नाम तनय(नाम और पता काल्पनिक है) उसके उम्र 14 वर्ष है। वो अपनी कक्षा में तीसरे बेंच पर बैठता है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है और उसे इतिहास यह विषय अच्छा लगता है। वह रोज स्कूल के बाद दों घंटा स्वयं पढ़ाई करता है। उसे पढ़ाई के दौरान समस्या महसूस होती है परंतु वह ट्यूशन नहीं लगा सकता वजह है आर्थिक परिस्थिति । वो अपने स्कूल के वातावरण से खुश है। उसके अध्यापक का व्यवहार उसके साथ अच्छा है और उसके वर्ग अध्यापक का नाम बरडे मैडम है। उसके तीन दोस्त है और उनका व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा है साथसाथ दोस्तों के घरवालों का व्यवहार भी उसके प्रति -ही- अच्छा है। उसे एक बड़ी बहन है और वो भी 11 वीं कक्षा में पढ़ती है | उसे आगे जाकर भविष्य में इंजीनियर बनने का उद्देश्य है | उसका पिचले साल का परीक्षाफल अच्छा रहा है उसे A ग्रेड मिला है |

उसके बाद शोधार्थी के मित्र शोधार्थी से कहा कि और एक महिला कैदी के दो बेटे यही पर पढ़ते है उनसे भी मिल लेते है। वो दोनों लड़के भी बालनिरीक्षण गृह के छात्रावास में ही रहते है। हमने फिर से मुख्याध्यापक से मिले और उन दोनों लड़कों से मिलने की इजाजत ली। फिर मुख्याध्यापक ने ही चपरासी को बुलाकर उन दोनों लड़कों को साथ लेकर आने के लिए कहाँ। थोड़ी देर बाद चपरासी के साथ वो दोनों लड़के जहाँ हम लोग बैठे वहाँ आये और हमें देखकर उसने हम लोगों को नमस्ते किया और मेरे साथ जो मित्र थी उसके पैर छूए क्यों कि वह उसे जानती थी उसी ने उसका दाखिला वहाँ करवाया था और वो ही उसकी अभिभावक भी थी। उसके बाद शोधार्थी के मित्र ने उससे शोधार्थी की पहचान उन लड़कों से करा दी। उस मित्र ने उससे कहा कि ये दीदी तुमसे मिलने आयी है और तुम्हें एक फॉर्म देगी उसे तुम्हें भरकर देना है और जो तुमसे पूछेगी उसका जवाब देना। उसके बाद शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम समर बताया। शोधार्थी ने उसे फॉर्म दिया और उसने उसे पढ़कर भर दिया और उसके बाद हमने उससे बाते की उससे पूछा कि तुम्हें स्कूल में क्या अच्छा लगता है तो उसने कहा कि स्कूल में सब कुछ अच्छा लगता है जैसे पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना इत्यादि। उसका नाम समर (नाम और पता काल्पनिक है)। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है |उसकी उम्र 14 वर्ष है और उसके माता-पिता दोनों कारागृह में है | वह अपने माता-पिता से मिलने महीने में एक बार जाता है | वो नियमित स्कूल में जाता है। वो अपनी कक्षा में तीसरे बेंच पर बैठता है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है और उसे मराठी यह विषय अच्छा लगता है। वह रोज स्कूल के बाद दों घंटा स्वयं पढ़ाई करता है उसे पढ़ाई के दौरान समस्या

महसूस होती है परंतु वह ट्यूशन नहीं लगा सकता वजह है आर्थिक परिस्थिति वो अपने स्कूल के वातावरण से खुश है। उसके अध्यापक का व्यवहार उसके साथ अच्छा है उसके बहुत से दोस्त है और उनका व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा है साथ ही साथ दोस्तों के घरवालों का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा है। उसे दो भाई-बहन है एक बड़ा भाई है और वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरी छोटी बहन है वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। भविष्य में वकील (लॉयर) बनने का उद्देश्य है। उसका पिछले साल का परीक्षा फल अच्छा रहा है उसे B ग्रेड मिला है।

उसके बाद शोधार्थी अगले बच्चे से मिले उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम गणेश(नाम काल्पनिक है) बताया। शोधार्थी ने उसे फॉर्म दिया और उसने उसे पढ़कर भर दिया और उसके बाद हमने उससे बाते कि उससे पूछा कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता हैस्कूल में क्या अच्छा लगता है तो उसने कहा कि स्कूल में सब कुछ अच्छा लगता है जैसे पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना इत्यादि | वो अपनी कक्षा में पहले बेंच पर बैठता है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है और उसे गणित विषय अच्छा लगता है। वह रोज स्कूल के बाद दों घंटा स्वयं पढ़ाई करता है उसे पढ़ाई के दौरान समस्या महसूस होती है परंतु वह ट्यूशन नहीं लगा सकता वजह है आर्थिक परिस्थिति। वो अपने स्कूल के वातावरण से खुश है। उसके अध्यापक का व्यवहार उसके साथ अच्छा है । उसके तीन दोस्त है और उनका व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा है साथ ही साथ दोस्तों के घरवालों का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा है। उसे दो छोटे भाई-बहन है एक छोटा भाई है और वो 7 वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरी छोटी बहन है वो 5 वीं कक्षा में पद्धति है ।उसे आगे जाकर भविष्य में पुलिस बनने का उद्देश्य है| पुलिस ही क्यों बनना चाहता है उससे पूछने पर कि पुलिस दोस्त होते है ना परंतु मेंरा अनुभव इस बारे में बहुत बुरा रहा है इसलिए मैं अच्छा पुलिस बनना चाहता हूँ और लोगों कि मदद करना चाहता हूँ। उसका पिछले साल का परीक्षा फल अच्छा रहा है उसे B ग्रेड मिला है।

उसके बाद दूसरे दिन फिर एक महिला कैदी के बेटे को मिलने के लिए गये। वो लड़का बालनिरीक्षण गृह के छात्रावास में रहता है। शोधार्थी और उसकी मित्र दोपहर के वक़्त में उस लड़के से मिलने बालनिरीक्षण गृह के छात्रावास अमरावती गये तो उस लड़के कि वहीं मुलाक़ात हो गयी। उसके बाद हमने उस छात्रावास के अधीक्षक से उस लड़के से मिलने की इजाजत ली। फिर अधिक्षक ने ही चपरासी को बुलाकर उस लड़के को साथ लेकर आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद चपरासी के साथ वो लड़का जहाँ हम लोग बैठे वहाँ आया और हमें देखकर उसने हम लोगों को नमस्ते कहा और मेंरे साथ

जो मित्र थी उसके पैर छूए क्योंकि वह उसे जानती थी उसी ने उसका दाखिला वहाँ करवाया था और वो ही उसकी अभिभावक भी थी। उसके बाद शोधार्थी के मित्र ने उससे शोधार्थी कि पहचान उस लड़के से करा दी। उस मित्र ने उससे कहा कि ये दीदी तुमसे मिलने आयी है और तुम्हें एक फॉर्म देगी उसे तुम्हें भरकर देना है और जो तुमसे पूछेगी उसका जवाब देना। उसके बाद शोधार्थी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम आनंद बताया (नाम और पत्ता काल्पनिक है)। शोधार्थी ने उसे फॉर्म दिया और उसने उसे पढ़कर भर दिया और उसके बाद हमने उससे बाते की उससे पूछा कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है।स्कूल में क्या अच्छा लगता है तो उसने कहा कि स्कूल में सब कुछ अच्छा लगता है जैसे पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना इत्यादि। वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी उम्र 17 वर्ष है और उसके माता-पिता दोनों ही कारागृह में है। वह अपने माता-पिता से मिलने महीने में एक बार जाता है। वो नियमित स्कूल जाता है। वो अपनी कक्षा में तीसरे बेंच पर बैठता है। उसे पढ़ना अच्छा लगता है और उसे मराठी यह विषय अच्छा लगता है। वह रोज स्कूल के बाद दों से तीन घंटा स्वयं पढ़ाई करता है उसे पढ़ाई के दौरान समस्या महसूस होती है परंतु वह ट्यूशन नहीं लगा सकता वजह है आर्थिक परिस्थिति वो अपने स्कूल के वातावरण से खुश है। उसके अध्यापक का व्यवहार उसके साथ अच्छा है। उसके तीन दोस्त है और उनका व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा हैसाथ ही उनके घर वालों का भी व्यवहार भी अच्छा है। उसे भविष्य में स्पोर्ट्स मैन बनने का उद्देश्य है। उसका पिछले साल का परीक्षा फल अच्छा रहा है उसे B ग्रेड मिला है।

तीसरे दिन फिर शोधार्थी अपने मित्र के साथ लड़कियों के बालनिरीक्षण गृह में एक कैदी महिला के लड़की को मिलने गये। वो लड़की को उसके माँ के विनंती पर उसे उसके गाँव से यहाँ बालिका निरीक्षण में लाया गया था क्योंकि उस लड़की के माता को लग रहा था कि उसकी बेटी उसके घर पर सुरक्षित नहीं हैं। उस लड़की का पिता बहुत शराब पिता है और उस बच्ची के साथ कुछ भी कर सकता है इसका उसे डर लग रहा था इसलिए उसने वराड़ नाम कि संस्था को विनती कि कि उस कि बेटी को यहाँ निरीक्षण गृह में रखा जाए। हम लोग उसी लड़की से मिलने बालनिरीक्षण गृह गये। बालनिरीक्षण गृह पहूँचने के बाद सबसे पहले हम उस बालनिरीक्षण गृह के अधिक्षक से मिले और उससे उस लड़की से मिलने कि इजाजत ली। उसने फिर चपरासी को भेजकर उस लड़की को नीचे बुलाया और वो वहाँ से चली गयी। वो लड़की हमें देखकर रोने लगी। शोधार्थी के मित्र ने उसे पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता है उसे गाँव जाना है। उस मित्र ने उसे पास

बैठकर समझाया कि क्या वह अपने माँ से मिलना चाहती है तो उसने कहा कि अभी नहीं मैं सिर्फ अपने गाँव ही जाना चाहती हूँ। मित्र ने उसे बहुत देर तक समझाती रही थोड़ी देर बाद उसका रोना बंद हुआ तो उस मित्र ने उसे समझाया कि देखों यह दीदी तुमसे मिलने आयी है वो तुमसे कुछ बाते करने आयी है फिर उसका ध्यान शोधार्थी की तरफ गया तब उसने उसे नमस्ते किया। शोधार्थी ने नमस्ते करके उससे उसका नाम पूछा तो उसने उसका नाम सारिका बताया (नाम और पत्ता काल्पनिक है)। उससे पूछने पर कि तुम स्कूल जाती हो तो उसने बताया कि हाँ जाती हूँ और 9 वीं कक्षा पढ़ती हूँ।उससे पूछने पर कि तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो उसने कहा कि पढ़ाई करके क्या करूंगी हमारे गाँव में तो सिर्फ वीं कक्षा तक 10 ही है| उसके बाद मुझे वैसे ही पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योकि फिर छुट्टी हो जाएगी मेरी माँ तो जेल में है और पिता कुछ करते ही नहीं केवल शराब पीते हैं उसके बाद फिर से रोने लगी, फिर उठकर वहाँ से चली गयी। उसकी मानसिक स्थिति और हमसे बाते करने की नहीं है यह देखकर हम लोग वहाँ से चले आये।

कैदी महिलाओं का उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की स्थिति:-

संस्कृत में यह उक्ति प्रसिद्ध है *'नास्ति विद्यासम चक्षु नास्ति मातृ समोगुरु'* इसका मतलब यह है की इस दुनिया में विद्या के समान क्षेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है। यह बात पूरी तरह सच है। बालक के विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को पाठ पढ़ाती है। अगर माता शिक्षित है तो उसका प्रभाव उसके बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूकता पर जरूर पड़ता है। अध्ययन में देखने को मिला की कैदी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति बहुत ही निम्नस्तरीय है। कारागृह में 21 कैदी महिलाएं है। उनमें 11 महिलाएं अशिक्षित है एवं 10 महिलाएं शिक्षित है। इन 10 शिक्षित कैदी महिलाओं में 2 महिलाएं स्नातक है, 3 महिलाएं 10 वीं कक्षा तक पढ़ी है ,3 महिलाएं 7 वीं कक्षा तक पढ़ी है, एक महिला 5 वीं कक्षा तक पढ़ी है एवं एक महिला 4 थी कक्षा तक पढ़ी है। जो महिलाएं शिक्षित हैं उनके बच्चे अभी भी शिक्षा ले रहे हैं एवं एक बच्चा स्नातक की पढ़ाई पूरी करके स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जो महिलाएं अशिक्षित है ज़्यादातर उन महिलाओं के बच्चे 9 वीं कक्षा के आगे पढे नहीं हैं। इसमें अपवाद के तौर पर सिर्फ दो ऐसी महिलाएं है जिनमें से एक कैदी महिला के बच्चे 11 वीं कक्षा में पढ़ रहे है एवं दूसरी कैदी महिला की लड़की एम.ए. तक पढ़ी

है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर माता शिक्षित है तो इस का प्रभाव उसके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पर होता है।

कैदी महिलाओं के बच्चों से संबंधित विवरण:-

21 कैदी महिलों में से 20 महिलाओं के बच्चे हैं। बच्चों की संख्या 57 है। इनमें से 24 लड़के है एवं 31 लड़कियां हैं। इनमें 15 से 20 वर्ष उम्र के बीच के 9 लड़के एवं 9 लड़कियां हैं। 20 से 55 वर्ष उम्र के बीच 17 पुरुष एवं 22 महिलाएं है। इसलिए 15 से 20 वर्ष उम्र के बच्चों कि संख्या कम है एवं 20 से 55 वर्ष उम्र के बच्चों कि संख्या ज्यादा है। इसलिए 15 से 20 वर्ष के उम्र के बीच है वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं परंतु उनकी संख्या बहुत ही कम है यानी सिर्फ 10 है। अमरावती कारागृहएक कैदी महिला है उसकी चार साल कि बेटी है और वो कारागृह में ही चलने वाली बालवाड़ी में शिक्षा ले रही है। ज्यादातर बच्चे बड़े उम्र के होने के कारण अपने ही घर में रहते है। कुछ बच्चे जिनके माता-पिता दोनों ही कारागृह में है उनके बच्चे वस्तिगृह (निरीक्षण गृह) मेंरहते हैं और सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों की संख्या बहुत ही कम है सिर्फ 6 बच्चे हैं जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इसमें भी एक लड़की अंधी है परंतु वो 11 वीं कक्षा में पढ़ रही है एवं समाजकल्याण के वस्तिगृह में रहती है।जो बच्चे अपने रिशतेदारों के पास रहते है उनकी संख्या सिर्फ 5 है। इनमें से 2 बच्चे चाचा के पास रहते हैं एवं 3 बच्चे अपने मामा के पास रहते हैं। जो बच्चे अपने चाचा के पास रहते हैं उनमें से एक लड़की 9 वीं कक्षा में पढ़ रही है एवं जो बच्चे मामा के पास है उनकी पढ़ाई छूट गयी है। कैदी महिलाओं को उनके घर से मिलने आने वालों की संख्या ज्यादा है यानी 13 है तो साल में एक बार मिलने आने वालों की 3 है एवं न मिलने वालों की संख्या बहुत कम याने सिर्फ 5 है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है की शिक्षा पाने वाली कैदी महिलाओं के बच्चों की संख्या बहुत कम है।

कारागृह में बच्चों की शैक्षिक सुविधा की स्थिति:-

भारत में ज्यादातर कारागृह में कैदी महिलाओं के साथ उनके छोटे बच्चे(0 से 6 वर्ष तक के बच्चे) रहने कि सुविधा है परंतु ज़्यादातर कारागृह में कैदी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधा नहीं हैं । अमरावती जिला कारागृह में कैदी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है। अमरावती कारागृह में कैदी महिलों के छोटे बच्चों के लिए आंगनवाडी की सुविधा उपलब्ध है। अमरावती कारागृह में वरहाड़ नाम की एक सामाजिक संस्था कैदी महिलाओं के बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी चलाती है। इस आंगनवाड़ी में इसी संस्था के तरफ से एक शिक्षिका रोज वहाँ पढ़ाने के लिए आती है। इस वक़्त इस आंगनवाड़ी में सिर्फ एक ही बच्ची पढ़ रही है। उस बच्ची को संस्था की ओर से ही शैक्षिक सामग्री जैसे स्लेट, कॉपी, पेंसिल एवं कहानियों की किताबों की व्यवस्था की जाती है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है की अमरावती कारागृह में कैदी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों को एक सामाजिक संस्था के ओर से शैक्षिक सुविधा दी जाती है

कैदी महिलाओं से अलग रहने वाले बच्चों की स्थिति:-

कैदी महिलाओं के बच्चे ज्यादा तर उनसे अलग ही रहते है। जो बच्चे उनकी माँ से अलग रहते है वे सभी बड़ी उम्र(18 साल से ऊपर) के होते है। परंतु जो बच्चे अभी छोटे (6 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष से नीचे)है वे सभी बच्चे वस्तिगृह या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते है। जो बच्चे उम्र से बढ़े है वे अपने भाई-बहन के साथ रहते है, उनकी संख्या 5 है। जो बच्चे वस्तिगृह में रहते है उन बच्चों की संख्या 6 है एवं जो बच्चे अपने जो बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ रहते है उनकी पढ़ाई ज़्यादातर छूट गयी है परंतु एक बच्ची अपवाद है वो अपने चाचा के पास रहती है और वो अभी 9 वीं कक्षा में पढ़ रही है। इसका कारण यह है कीरिशतेदारों की आर्थिक परिस्थिति कमजोर है और उनकी माता कारागृह में है। जब एक महिला कारागृह में चली जाती है तो उसका सबसे ज्यादा असर उसके बच्चों पर होता है। उसके बच्चों की शिक्षा छूट जाती है क्योंकि उन बच्चों का अपना जीवनयापन करने के लिये पढ़ाई छोड़कर कोई मजदूरी करने पड़ती है ताकि उनको दो वक़्त का खाना नसीब हो सके। ज़्यादातर ये होता है कि अगर दो-तीन भाई बहन है तो बड़ा भाई या बहन पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करता है और अपने छोटे भाई-बहन को पढ़ने कि कोशिश करता है ऐसा उदाहरण यहाँ यानी अमरावती कारागृह के दो बच्चों का देखने को मिलता है। ये बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगते है तो रिश्तेदार इन बच्चों को अपने पास तो रखते हैं तो सिर्फ आसरा

देते हैं परंतु उनको अपना जीवनयापन करने के लिये काम करना ही पड़ता है इस कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। इन कैदी महिलाओं में से एक कैदी महिला का बालक अभी-अभी बी.ए पास हुआ है और स्पर्धा परीक्षा कि तैयारी कर रहा है वो अपने चाचा के पास रहता है ।ऐसा ही एक अपवाद और है वो है है दो बेटे और एक बेटी की एक कैदी महिला को तीन बच्चे। जो सबसे बड़ा बेटा है उस ने 12 वीं तक पढ़ाई कि है और अब पढ़ाई छोड़ दी है और मजदूरी करके अपने छोटे भाई- बहन का भरण पोषण करके उन्हें शिक्षा दिला रहा है। छोटा भाई 11 वीं कक्षा में पढ़ता है एवं छोटी बहब 9 वीं कक्षा में पढ़ती है और तीनों बहन भाई अपने घर पर ही रहते हैं । कैदी महिलाओं के वही बच्चे शिक्षा ले पा रहे जो वस्तीगृह में रहते हैं या फिर अपने पिता के साथ रह रहे हैं । जो बच्चे सरकारी वस्तिगृह में रहते है वे बच्चे ही शिक्षा ले पाते हैं क्योंकि उन्हे सरकार की ओर से खाना,रहना और शिक्षा बिना मूल्य दी जाती है। बच्चों को अपनी माँ से मिलने की इजाजत हमेंशा नहीं होती है। बच्चों को अपनी माँ से मिलने कि इजाजत महीने में एक बार होती है इसलिए बच्चे अपनी माँ से मिलने महीने में एक बार जाते हैं । इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब बच्चों की माँ बच्चों से अलग हो जाती हैं तो उन बच्चों का जीवन पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। उन बच्चों का जीवन ही बदल जाता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

कैदी महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाएं:-

भारत में ज़्यादातर कारागृह में कैदी महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों को कारागृह से मिलने वाली सुविधाएं समान ही होती है कारागृह में महिलाओं के साथ जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष हो तो ही साथ रह सक ते है। इन बच्चों के लिये कारागृह में खाने के लिये अलग से पोषण आहार दिया जाता है। सरकार की ओर से जो आंगनवाड़ी को पोषण आहार दिया जाता है, वही पोषण आहार कारागृह में भी बच्चों को दिया जाता है। इन बच्चों को जेल के बरमादे में खेलने की छूट होती है। अगर छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा हो तो उनके लिए क्रेच यानी पालनाघर की भी सुविधा होती है इस क्रेच में छोटे बच्चों को खेलने के लिए खिलौने होते है और पढ़ने के लिए शिक्षण सामाग्री होती है परंतु क्रेच की सुविधा यह सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। ज़्यादातर यह सुविधाएं किसी सामाजिक संस्था कि ओर से दी जाती हैं। अमरावती कारागृह में बच्चों के लिए आवश्यक पोषण और शिक्षा की सुविधा अमरावती कि

एक वरहाड़ सामाजिक संस्था कि ओर से दी जाती है। यह संस्था बच्चों के पोषण के लिये सूखा मेंवे से लेकर उनको लगने वाला पोषण आहार की भी व्यवस्था करती है। पोषण आहार में इन बच्चों को दूध, उबले हुए अंडे, दलिया, फल इत्यादि चीजें इन बच्चों को दी जाती है। शैक्षिक प्रगति के लिए यह संस्था बच्चों के लिये बालवाड़ी चलता है। इस बालवाड़ी में बच्चों को लगने वाली शैक्षिक सामग्री जैसे स्लेट, पेंसिल, कॉपी एवं कहानियों की किताबें भी यह संस्था बच्चों को देती है। बच्चों को खेलने के लिये खिलौनें इत्यादि चीजे दी जाती हैं। इन बच्चों को गणवेश भी इस सामाजिक संस्था की ओर से दिया जाता है। इन बच्चों के जन्मदिन भी यह संस्था कारागृह में मनाती है। ये सारी सुविधाएं अमरावती जेल में कैदी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों को दी जाती है। यह सारी सुविधाए देने के बावजूद इन बच्चों कि सामान्य बच्चों कि तरह विकास नहीं हो पाता है इसका कारण एक ही है कि इन बच्चों को खुला वातावरण नहीं मिल पाता है। इन बच्चों को अपने बराबरी के बच्चों के साथ स्वतन्त्रता से खुले आसमान के नीचे खेलने का अवसर नहीं मिलता है। इस वजह से इन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। बच्चों के लिये उनका भविष्य बनाने के लिये जो नींव रखी जाती है वो यही उम्र 0 से 6 वर्ष में रखी जाती है | इस नींव पर ही आगे का भविष्य निर्भर होता है कि वह अपने भविष्य में अच्छा या फिर बुरा जीवन व्यतीत करता है। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि कैदी महिलाओं के बच्चों को सभी सुविधाएं मिलती है परंतु फिर भी इन बच्चों का विकास सामान्य बच्चों के विकास के समान नहीं हो पाता है।

कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा:-

भारत में लगभग 18000 महिलाएं कारागृह में बंद है| उन में से नौ प्रतिशत अपने बच्चों के साथ कारागृह में रहती हैं | सुप्रीम कोर्ट के साथ मौलिक अधिकार पर अमल फैसला देकर अपना काम किया है लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं के बराबर हो रहा है। 18000 कैदी महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी बगैर किसी अपराध के अपनी माताओं के साथ कारागृह में बचपन बिताने पर मजबूर है। **(नेशनल क्राइम रिकोर्ड्स ब्यौरों-NCRB)**

बच्चों के पालनपोषण- कल्याण, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास की व्यवस्था करने का निर्देश के अपने फैसले में दिया ताकि इन बच्चों की सुरक्षा और जीवन स्तर संबंधी के फैसले

2006 में दिशा निर्देश दिए थे। अदालत ने इन बालकों के लिये रहने, खाने, स्वास्थ सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था करने को भी कहा था परंतु मानवाधिकार सगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल देशों के विभिन्न कारागृह के दौरे के दौरान पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का किसी भी कारागृह में ठीक से पालन नहीं होता है।

कैदी महिलाओं के बच्चों ने अपनी वास्तविक स्थिति एवं समाज से मिल रही उनके प्रति प्रतिक्रियाओं में अपनी स्थिति का तालमेल बिठाकर अपने भविष्य विषयक स्थान को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों का रूपांतर उनकी भविष्य कि आकांक्षाओं का निर्माण करती है। यह बच्चे अपने अपने भविष्य-कालीन विकास का मार्ग शिक्षा को प्राप्त करना समझते है। जिन कैदी महिलाओं के बच्चों से बातचीत की गयी उन बच्चों ने अपने भविष्य संबंधी आकांक्षाओं में पढ़ाई करके अपना विकास करने की बात ठान ली है। इन बच्चों का अपने भविष्य के प्रति शैक्षिक सजगता और शिक्षा के प्रति लगाव यह दर्शाती है कि उन्होनें शिक्षा से ही उचित जीवनमान की दिशा निश्चित तय की है।

अमरावती जिला कारागृह के कैदी महिलाओं के बच्चों से बातचीत से यह पता चला कि इन बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय जाना बहुत ही अच्छा लगता है। उनका कहना है कि उन्हे सबसे अच्छी जगह उनका विद्यालय लगता है। कारण पूछने पर उन बच्चों ने कहा कि हमें वस्तिगृह एवं विद्यालय के सिवा कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है हम लोग सिर्फ विद्यालय की छुट्टियों में ही अपने रिश्तेदारों के पास जाते है। वस्तिगृह में सिर्फ अपने कमरे में ही रहना पड़ता है। वहाँ खेलने के लिये मैदान नहीं है एवं कोई खेलने का समान भी नहीं होता है। मनोरंजन के लिये सिर्फ एक टेलीविज़न है परंतु सब बच्चे जब वहाँ एक साथ देखने को बैठते है तो इतना शोरगुल होता है की किसी को आवाज सुनाई नहीं देती है एवं टेलीविज़न का भी आवाज सुनाई नहीं देती है। विद्यालय में खेलने के लिये मैदान भी है एवं खेलने कि सामाग्री भी है। साथ में विद्यालय में कक्षा के दोस्त भी होते हैं। विद्यालय में हमें खुला वातावरण मिलता है जिससे हमें स्वतन्त्रता का अहसास होता है। विद्यालय में हमें हमारे शिक्षकों से पढ़ाई के बारे में कोई समस्या हो तो तुरंत सुलझाई जाती है। हमारे शिक्षक हमसे एक अभिभावक कि तरह भविष्य में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये समझाते और दिशा निर्देश देते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन विद्यालय में आना अच्छा लगता है। हमारे शिक्षक कहते हैं कि शिक्षा लेने से ही हमें भविष्य में मान-सम्मान मिलेगा |शिक्षा से ही हमारे अंदर जीवन मूल्यों का निर्माण होगा जिसके आधार पर हम अपना जीवन उज्जवल है तो हमारे लिये शिक्षा से परिपूर्ण कोई भी चीज नहीं है। अगर हम उच्च शिक्षा प्राप्त

करते है तो हमें सरकारी अच्छी नौकरी मील सकती है जिससे हमारा जीवन सुखी एवं समृद्ध हो सकता है। अगर हमें उच्च शिक्षा लेनी है जैसे इंजीनियर, लेक्चरर ,वकील, पुलिस, स्पोर्ट्समैन, इत्यादि अगर हमें बनना है तो उसके लिये हमें नियमित पढ़ाई करनी होगी। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है की इन बच्चों की आकांक्षा शिक्षा के प्रति उच्च है और ये अपने भविष्य के प्रति जागरूक भी है।

कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक अभिवृति:-

अभिवृति का निर्माण सामाजिक सीख के द्वारा ही नहीं होता है ,बल्कि सामाजिक तुलना द्वारा भी होता है। व्यक्ति सामाजिक यथार्थता के बारे में अपने विचारों की सत्यता जानने के लिये सामाजिक तुलना का सहारा लेता है। व्यक्ति अपने विचारों की तुलना बाकी लोगों से करते है। यदि बाकी लोगों के विचार भी उससे मिलते है तो वह निश्चित हो जाता है की उसके विचार सही है। सामाजिक तुलना की प्रक्रिया अभिवृतियों में परिवर्तन लाती है और नयी अभिवृतियों को भी निर्मित करती है। फ़ेस्टिगर (1954) अभिवृति पर प्रकाश डाला है।

वी.वी. आकोलकर (1960:231) ने अभिवृति की अतिसंशिप्त परिभाषा दी है, "किसी व्यक्ति या व्यक्ति के विषय में एक विशेष ढंग से सोचने, अनुभव करने और क्रिया करने की तत्परता की दशा है।"

कुप्पुस्वामी(1975) ने एक चौथा प्रकार्य जोड़ा है कि 'अभिवृतियों से लोगों को समूह के अनुरूप बनाने और इस प्रकार समूह से अधिकाधिक पुरस्कार प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है।'

कैदी महिलाओं के बच्चे माँ से अलग रहकर जीवन व्यतीत करते है। एक ओर वे माँ के प्यार से महरूम होते हैं तो दूसरी ओर जिनकी माँ है उन बच्चों की परवरिश को देखते हैं , समझते है और अपनी स्वयं की स्थिति को अपनी मानसिक सोच को तुलनात्मक रूप से मन ही मन सोचते हैं । इस मानसिक सोच का उस के सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव का उसके क्रियाकलापों से जो परिणाम आता है उससे बच्चे के अभिवृति निश्चित होती है। कैदी महिलाओं के बच्चे इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं और अपने सामाजिक व्यवहार को तय करता है। यह जो उसका परिस्थिति के

साथ तालमेंल बैठने वाला व्यवहार होता है। वह उसकी सामाजिक अभिवृति होती है। इस अभिवृति में उसका जीवन के प्रति किया गया विकास फरक आचरण उसकी शैक्षिक अभिवृति तय करती है। कैदी महिलाओं के बच्चों से की गई बातचीत से यह बात उभरकर आया की स्वयं के विकास के लिये अधिकांश बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करना तय किया तथा अपना भावी जीवन एक अच्छे नागरिक बनने के लिये प्रयासरत रखना उन्होनें अपना निश्चित लक्ष्य किया जो उनकी सकारात्मक शैक्षिक अभिवृति को दर्शाती है।

अमरवाती जिला कारागृह के कैदी महिलाओं के बच्चों से बातचीत की तो यह पता चला कि इन बच्चों को शिक्षा के प्रति बहुत ही लगाव है। ये बच्चे स्वयं का गृहकार्य स्वयं ही करते है। इन्हे विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना अच्छा लगता है। इन बच्चों का कहना है की वो लोग सबसे ज्यादा खुश विद्यालय में रहते हैं कारण पूछने पर कहते है कि विद्यालय में जो माहौल होता वह सब जगह से अच्छा होता है। यहाँ पर कभी भी इस बात का अहसास नहीं होता है की हम बच्चे सामान्य बच्चों की तरह नहीं हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय के शिक्षक कभी भी हमें झिड़कते नहीं हैं उल्टा अगर हमें कोई समस्या आती है तो उसे सुलझाने में ही मदद करते हैं। हमारे कक्षा के दोस्तों का भी व्यवहार बहुत ही अच्छा है। वे हमें कभी भी साथ बैठने और खेलने के लिए मना नहीं करते है परंतु जब छुट्टियों में हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ के पड़ोसी बच्चे हमारे साथ खेलने को मना कर देते हैं । उनके घर के लोग भी हमारे साथ खेलने को मना करते हैं। इसलिए हमें विद्यालय में ज्यादा देर रहना अच्छा लगता है। इन बच्चों से पूछने पर कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता है तो ज़्यादातर बच्चों ने कहाँ की हाँ लगता है। कारण पूछने पर बताते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा हमें समाज में मान-सम्मान दिलाती है जिसकी हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। अभी समाज हमें सम्मान कि नजर से नहीं देखता है। वो हमारा तिरस्कार करते हैं या फिर दया की नजर से देखते हैं जिसे हमें बदलना है और वो सिर्फ हम शिक्षा लेकर ही बदल सकते हैं । क्योंकि जब हम उच्चशिक्षा लेकर अच्छी पद की नौकरी करेंगें तो लोगों का हमारे तरफ देखने का नजरिया बदल जायेगा। इन बच्चों से पूछने पर कि विद्यालय के बाद कितने देर पढ़ाई करते हो तो ज़्यादातर बच्चों का कहना था कि वे लोग 2 से 3घंटे रोज पढ़ाई करते है। पढ़ाई करते वक़्त आपकों कोई समस्या आती है तो ज्यादा तर बच्चों का कहना था कि उन्हें ज्यादातर समस्या आती नहीं है परंतु अगर समस्या आती भी है तो वे दुसरे दिन अपने कक्षा शिक्षक से सुलझा लेते हैं । उन बच्चों से ट्यूशन की जरुरत है क्या? पूछने पर ज्यादातर बच्चों ने कहा कि नहीं उन्हें ट्यूशन की जरुरत नहीं है उनके पास

इतना पैसा भी नहीं हैं परंतु एक बच्ची जो10 वीं कक्षा में पढ़ती है उसने कहा की ट्यूशन की जरुरत तो है परंतु वह लगा नहीं सकती है। इसका कारण पूछनें पर उसने बताया कि मेरे माता पिता दोनों ही कारागृह में है और हमें मदद करने वाला कोई नहीं है। ऐसे वक्त फिर हम लोगों को मार्क कम मिलते है पर करे क्या विद्यालय के शिक्षक जितनी मदद कर सकते है वो लोग अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं उसी के आधार पर हम पढाई करते हैं और परीक्षा देते हैं। इस बच्ची की इच्छा है की वो लेक्चर बने और अपने छोटे भाई को इंजिनियर बनाये और अपने माता पिता का नाम रोशन करे और उस जैसे बच्चों को भविष्य में शिक्षा के लिए मदद करे। एक बच्चे की इच्छा पुलिस बनने बनने कि है उससे पूछने पर की पुलिस क्यों बनना चाहता है? तो उसने कहा मैंनें कहीं पढ़ा था की पुलिस हम लोगों के दोस्त होते है। इसलिए मै पुलिस बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने जैसे बच्चों की मदद कर सकूं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।

कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि:-

"मातायें , बालकों की आदर्श गुरु होती है और परिवार द्वारा प्राप्त शिक्षा स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होती है, घर एक शिक्षा संस्था है और माता सच्ची शिक्षा का श्रोत है।" - ***फ्रोबेल एवं पेस्टलौजी***

परंतु ये व्याख्या कैदी महिलाओं के बच्चों पर लागू नहीं होती है। क्योंकि इन बच्चों के पास न तो माता है और न ही घर है। ये बच्चे तो अपने माता के बिना वस्तिगृह में रहते है। इसलिए जब इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की बात होती है तो यह कहा जा सकता है कि इन सब परिस्थिति का इन बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि पर जरूर पड़ता है।

माता पिता जब कोई अपराध करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा उनके बच्चे को भरना पड़ता है। अपराधी माता पिता को कारागृह में चले जाते हैं और उनके बच्चे अनाथ बनाकर दुनिया के धक्के खाने के लिये छुट जाते हैं। इन बच्चों को रिश्तेदारों, पडोसियों, दोस्तों और बाहर वाले के रहमों करम पर छोड़ दिया जाता है। कई बच्चे शोषण के शिकार होते है और धीरे-धीरे कुछ बच्चे खुद शोषक बन जाते है।

हमारी सुधार प्रणाली का खालीपन भरने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं इनसोषित बच्चों को शिक्षा व सुरक्षा उपलब्ध करने के लिए प्रयास करते है। ऐसी ही महाराष्ट्र, पुणे में 'प्रयास' नामक सामाजिक संस्था है और अमरावती मेंन 'वरहाड़' नामक संस्था है जो इन बच्चों के लिये 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्स' के साथ मिलकर कार्यरत है। इन सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैदी महिलाओं के बच्चों के लिये निरंतर शिक्षा और सुरक्षा तथा पारिवारिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिये कोशिश करते है। ऐसे बच्चों को पहली बार विद्यालय में ले जाने पर शिक्षकों को उनके व्यवहार, भाषा, बोलचाल और हावभावों को बदलने में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। महिला कैदी चूंकि पाँच साल तक अपने बच्चों को अपने पास रख सकती हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को एक अलग प्रकार के अनुशासनात्मक माहोल में पहले ही काफी देर होती है। बच्चों को माँ के साथ बहुत लंबे समय साथ रहने की छूट मिली है, यह एक बड़ी गलती है। बच्चे जब जीने के लायक होने पर ही उने आवासीय विद्यालय में भेज देना चाहिए और उन्हें ऐसे असुरक्षित माहौल में लम्बे समय तक रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जहां बच्चों की बिगड़ने की संभावना हो। कारागृह से रिहा होने के बाद माता पिता एक निश्चित समय अंतराल से अपने बच्चों से मिलते रहे। इसी प्रकार जिन बच्चों के माता पिता कारागृह में बंद है वे भी बच्चों को मिलते रहे।

अमरावती जिला कारागृह के कैदी महिलाओं के बच्चों से जब उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बारे में बात की तो उन बच्चों से पूछा कि पिछले साल का आपका रिज़ल्ट कैसा रहा तो ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि अच्छा रहा। कैदी महिलाओं के बच्चों कि शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में हमने यह अनुभवित किया कि इन बच्चों की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति बदतर रहने के बावजूद शैक्षिक उपलब्धि A ग्रेड से B ग्रेड में पाई गयी परंतु यह सब रिज़ल्ट उन बच्चों के है जो वस्तिगृह में रहकर पढ़ रहे है। ये बच्चे अन्य विद्यालयीय कार्यक्रमों में भी सहभागी होते हैं और विद्यालय में जो भी खेल प्रतियोगिता होती हैं उसमें भी सहभागी होते हैं। किसी बच्चों को कबड्डी खेलना पसंद है तो किसी को क्रिकेट और किसी को हैंड बाल खेलना पसंद है।

शिक्षा के अवसर में माता से दूर रहकर किसी रिशते के पास रहकर प्यार अपने पन के अभाव में भी अन्य सामान्य बालकों कि तुलना में इन कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि से उनका शिक्षित होकर समाज में अन्य लोगों के साथ समानता से सम्मानपूर्वक खड़े रहने की आकांक्षा को मैंने

पहचाना है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति अच्छी है परंतु उन्हीं बच्चों की जो वस्तिगृह में रहकर शिक्षा ले रहे हैं।

5.0 शोध सारांश, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव:-

5.1 सारांश:-

प्रस्तुत शोध भारतीय संदर्भ में कैदी महिलाओं की स्थिति, विभिन्न प्रकार के अपराधों में उनकी संलिप्तता की स्थिति एवं संभावित कारणों का विश्लेषण करने की चेष्टा करता है| यह शोध बच्चों की शिक्षा एवं उनके व्यक्तित्व के विकास में उनकी माता की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन बच्चों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करता है| जिनकी माताएँ विभिन्न अपराध में कैद में हैं| भारत में महिलाओं की साक्षरता की स्थिति का कालक्रमानुसार उल्लेख करते हुए इस आलेख में शिक्षा एवं जीवन-यापन की विभिन्न विधाओं में महिला कर्मियों के निराशाजनक प्रतिनिधित्व का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है| जिसके आधार पर संकल्पनात्मक रूप से यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि भारतीय समाज अपने विकास एवं उत्तर-आधुनिकता के अकादमिक व सैद्धांतिक प्रभाव के बावजूद अभी भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है| प्रस्तुत आलेख अशिक्षा एवं शोषण के परिणामस्वरूप उत्पन्न महिलाओं की कुंठा का आक्रामकता में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को महिला अपराध के प्रमुख कारण के रूप में देखते हुए उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है| विभिन्न शोध अध्ययनों एवं बाल संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए इस शोध के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिये पर पड़े हुए उन बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए, जिनकी माताएं विभिन्न कारणों से कैद में हैं| उनकी शिक्षा के

संबंध में तथ्यपरक जानकारी एकत्रित की जाए उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यावहारिक आंकलन करते हुए यथोचित नीतियाँ बनायी जाए जिससे कि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके एवं उन बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नयी दिशा दी जाए| जब हम कहते है कि सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करे.

5.1.0 समस्या कथन:-

"कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन"

5.1.1 शोध प्रश्न:-

1. कैदी महिलाएं अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक हैं ?

2. कैदी महिलाओं के बच्चों का शैक्षिक अभिवृत्ति का स्तर कैसा हैं ?

3. कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा कैसी होती हैं ?

4. कैदी महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि का स्तर क्या होगा ?

5.1.2 शोध उद्देश्य:-

1. कैदी महिलाओं का उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

2. कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अन्वेषन करना।

3. कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन करना॥

4. कैदी महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि का विवेचन करना।

5. कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना

5.1.3 न्यादर्श:-

समय एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा अध्ययन हेतु न्यायदर्श का चयन उद्देशपूर्ण प्रविधि से किया गया है। न्यादर्श के रूप में अमरावती जिला कारागृह की अपराधसिद्ध महिलाओं और इनके बच्चों को शामिल किया गया है। इस शोध अध्ययन में कैदी महिलाओं एवं उनके बच्चों को लिया गया है।

5.1.4 प्रयुक्त उपकरण:-

इस अध्ययन के अनुरूप मानकीकृत परीक्षण उपलब्ध न होने के कारण शोधार्थी द्वारा कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति से संबंधित स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है।

5.1.5 शोध के निष्कर्ष:-

इस अध्ययन में निष्कर्ष के रूप यह पाया है कि-

अगर माता शिक्षित है तो इसका प्रभाव उसके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पर होता है।

- ❖ शिक्षा पाने वाले कैदी महिलाओं के बच्चों की संख्या बहुत ही कम है।
- ❖ अमरावती कारागृह में कैदी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों को एक सामाजिक सस्ता के ओर से शैक्षिक सुविधा दी जाती है।
- ❖ जब बच्चों की माँ बच्चों से अलग हो जाती है तो उन बच्चों का जीवन पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। उन बच्चों का जीवन ही बदल जाता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।
- ❖ कैदी महिलाओं के बच्चों को सभी सुविधाएं मिलती तो है परंतु फिर भी इन बच्चों का विकास सामान्य बच्चों के विकास सके समान नहीं हो पता है।
- ❖ इन बच्चों की आकांक्षा शिक्षा के प्रति उच्च है और ये अपने भविष्य के प्रति जागरूक भी है।

- ❖ कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक अभिवृति के प्रति सकारात्मक दिखाई देती है।
- ❖ कैदी महिलाओं की बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति अच्छी है परंतु उन्हीं बच्चों की जो वस्तिगृह में रहकर शिक्षा ले रहे है।

5.1.6 शैक्षिक निहितार्थ:-

- ❖ जेल में कैदी महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए ताकि वह शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके और साथ ही अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके|
- ❖ सरकार द्वारा कैदी महिलाओं के बच्चों के लिए छात्रावास बनाने चाहिए, जिसमें वी निवास करते हुए पढ़ सके।
- ❖ महिलाओं को जब जेल में भेजा जाता है तो उसी समय इन बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाला अगर कोई रिश्तेदार न हो तो सरकार को उसी वक़्त इन बच्चों के रहने और पढ़ाई का प्रबंध तुरंत हो ऐसा कानून बनाना चाहिए|
- ❖ कैदी महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों के लिए विशेष पौष्टिक आहार का प्रबंध हो ऐसा कानून होना चाहिए ताकि उन बच्चों का विकास अच्छी तरह हो सके।
- ❖ इन बच्चों के लिये जेल में ही क्रेच या पालनघर होने चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देने के लिए एक आया भी नियुक्त की जानी चाहिए ताकि इन बच्चों के साथ कोई हादसा न हो और इन्हें खेल-खेल में प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके|
- ❖ विद्यालयों में शिक्षकों को इन बच्चों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन बच्चों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है. इसलिए इन्हें ज्यादा प्यार और सम्मान की आवश्यकता होती है।

- ❖ सरकार द्वारा इन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन्हे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद की जानी चाहिए।
- ❖ इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इनका सम्पूर्ण विकास हो इसके लिए कार्य करना चाहिए|
- ❖ इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा जो आर्थिक मदद दी जाती है वह उन तक पहूंच रही है या नहीं इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए.
- ❖ इन बच्चों के लिए जिला स्तर पर एक समिति तो होती है परंतु इस समिति के सदस्य प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिन्हें इन बच्चों से कोई सरोकार नहीं होता है और प्रायः ये सदस्य जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं. इसलिए इस समिति में वही सदस्य होने चाहिए जो सचमुच इन लोगों के लिए समाजकार्य कर रहे हो।

5.1.7 शोध का परिसीमन:-

प्रस्तुत शोध कार्य अमरावती कारागृह की महिला कैदियों एवं उनके बच्चों तक सीमित है। इस कार्य में कैदी महिलाए, कैदी महिलाओ के बच्चे एवं उनके अभिभावकों को शामिल किया जायेगा।

5.2 भावी शोध हेतु सुझाव:-

अध्ययन की परिणाम एवं व्याख्या के आधार पर हम निम्नलिखित समस्याओं पर भविष्य में शोध कर सकते है –

1. कैदी महिलाओं के बच्चों का शैक्षिक स्थिति का अध्ययन (विशेष संदर्भ : विदर्भ विभाग)।
2. कैदी महिलाओं के बच्चों का शैक्षिक स्थिति का अध्ययन (विशेष संदर्भ : महाराष्ट्र विभाग)।
3. कैदी महिलाओं के बच्चों एवं सामान्य बच्चों की शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन।